



राजस्थान सरकार

बिलाड़ा मार्ट्र प्लान

2010 – 2031

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया

सलाहकार
आवास विकास लिमिटेड
जयपुर (राजस्थान)

उप-सलाहकार
सृष्टि अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.
नई दिल्ली

वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर


आभार

बिलाडा के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में बिलाडा के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं प्रगतिशील नगर के सुनियोजित विकास कार्यों में प्रदान किया है।

सम्भागीय आयुक्त जोधपुर, जिला कलक्टर जोधपुर एवं नगर पालिका बिलाडा का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय—समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है। सृष्टि अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेवलपमेंट प्रा.लि. द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने में मुख्य भूमिका रही है, उनका भी मै आभारी हूँ।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सर्वेक्षण तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सालय, जल—प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा है कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं।



(चन्द्र शेखर पाराशर)

वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर।

योजना—दल

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जौन, जोधपुर

1. श्री चन्द्र शेखर पाराशर : वरिष्ठ नगर नियोजक
2. श्री जे. बी. जाखड़ : वरिष्ठ नगर नियोजक
3. श्री आर. एल. टुकलिया : वरिष्ठ नगर नियोजक
4. श्री पी. आर. बेनीवाल : उप नगर नियोजक
5. श्री रोशन सिंह चौहान : उप नगर नियोजक
6. श्री ठी. आर. बामणिया : सहायक अभियन्ता
7. श्री रामचन्द्र भाटी : अनुसन्धान सहायक
8. श्री एम. एल. अवरथी : अन्वेषक ग्रेड द्वितीय
9. श्री दिनेश प्रकाश आसोपा : नगर नियोजन सहायक
10. श्री भगवान लाल : वरिष्ठ प्रारूपकार
11. श्री सुगनचन्द्र जांदू : कनिष्ठ प्रारूपकार
12. श्री प्रदीप शर्मा : अनुरेखक
13. श्री नरसिंह राम : अनुरेखक
14. श्री अरूण माथुर : निजी सहायक

योजना—दल

सृष्टि अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली

1. श्री एच. एस. गुप्ता : मुख्य सलाहकार
2. श्री एस. के. माथुर : सलाहकार नगर नियोजक
3. श्री विनोद मेहता : सलाहकार,
4. श्री प्रेमचन्द बैरवा : मुख्य सर्वेयर
5. श्री सुमन कुमार : नगर नियोजक

कम्प्यूटर टीम :

1. श्री रामस्वरूप प्रजापति
2. श्री शैलेश शर्मा

विषय—सूची

विषय

पृष्ठ सं.

आभार	(i)
योजना—दल	(ii)
विषय सूची	(iv)
तालिका सूची	(vii)

1. परिचय	1
2. विद्यमान विशेषतायें	3
2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु	3
2.2 क्षेत्रीय परिपेक्ष्य	3
2.3 ऐतिहासिक	4
2.4 जनांकिकी	4
2.5 व्यावसायिक संरचना	5
2.6 विद्यमान भू—उपयोग	6
2.6 (1) आवासीय	7
2.6 (1) (अ) आवासन	8
2.6 (1) (ब) कच्ची बस्तियाँ	8
2.6 (2) वाणिज्यिक	8
2.6 (3) औद्योगिक	9
2.6 (4) राजकीय	9
2.6 (4) (अ) सरकारी एवम् अर्द्ध सरकारी कार्यालय	9
2.6 (5) आमोद—प्रमोद	10
2.6 (5) (अ) उद्यान एवं खुले स्थल	10
2.6 (5) (ब) स्टेडियम एवं खेल मैदान	10
2.6 (5) (स) मेले एवं पर्यटन सुविधायें	10
2.6 (5) (द) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	11
2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ	11
2.6 (6) (अ) शैक्षणिक	11
2.6 (6) (ब) चिकित्सा	12
2.6 (6) (स) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	13
2.6 (6) (द) सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	14
2.6 (6) (य) जनोपयोगी सुविधाएँ	14
2.6 (6) (य)(i) जलापूर्ति	14
2.6 (6) (य)(ii) मल—जल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	15
2.6 (6) (य)(iii) विद्युत आपूर्ति	15
2.6 (6) (य)(iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान	16
2.6 (7) परिसंचरण	16
2.6 (7) (अ) यातायात व्यवस्था	17

2.6 (7) (ब) बस सेवा तथा ट्रक टर्मिनल	17
2.6 (7) (स) रेल सेवा / हवाई सेवा	17
3. नियोजन की संकल्पना	18
3.1 नियोजन की नीतियां	19
3.2 नियोजन के सिद्धान्त	19
4. भावी आकार	22
4.1 जनांकिकी	22
4.2 व्यावसायिक संरचना	23
4.3 नगरीय क्षेत्र	23
4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	24
4.5 योजना क्षेत्र	24
4.5 (अ) उत्तरी योजना क्षेत्र	26
4.5 (ब) दक्षिण-पश्चिमी योजना क्षेत्र	26
4.5 (स) दक्षिण-पूर्वी योजना क्षेत्र	27
4.5 (द) परिधि नियंत्रण पट्टी	27
5. भू-उपयोग योजना	28
5.1 नगरीयकरण क्षेत्र	28
5.2 आवासीय	29
5.2 (1) नगरीय नवीनीकरण	30
5.2 (2) आवासन कच्ची बस्तियाँ / अनोपचारिक (इन्फॉर्मल) सेक्टर के लिए आवास	31
5.3 वाणिज्यिक	31
5.3 (1) वाणिज्यिक केन्द्र	32
5.3 (2) सामुदायिक केन्द्र (सी.सी.)	32
5.3 (3) विशिष्टिकृत एवं थोक व्यापार	33
5.3 (4) भण्डारण एवं गोदाम	33
5.4 औद्योगिक	33
5.4 (1) औद्योगिक क्षेत्र	34
5.4 (2) घरेलू उद्योग	34
5.5 राजकीय	35
5.5 (अ) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	35
5.6 आमोद-प्रमोद	35
5.6 (1) उद्यान एवं खुले स्थल	35
5.6 (2) स्टेडियम एवं खेल मैदान	36
5.6 (3) मेले एवं पर्यटन सुविधाएँ	36
5.7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	36
5.7 (1) शैक्षणिक	37
5.7 (2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	37
5.7 (3) सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल	38

5.7 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ.....	38
5.7 (5) जनोपयोगी सुविधाएँ.....	38
5.7 (5) अ. जलापूर्ति.....	38
5.7 (5) ब. मल—जल निस्तारण प्रबन्धन.....	39
5.7 (5) स. ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन	39
5.7 (5) द. विद्युत आपूर्ति.....	40
5.7 (5) य श्मशान एवं कब्रिस्तान.....	40
5.8 परिसंचरण	40
5.8 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना.....	41
5.8 (1) अ. सडकों का मार्गाधिकार	42
5.8 (1) ब. सडकों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार कार्य करना.....	44
5.8 (1) स. चौराहों / जंकशनों का विकास.....	44
5.8 (1) द. पार्किंग स्थलों का विकास	44
5.8 (2) बस अड्डा तथा यातायात नगर.....	45
5.8 (2) (i) बस अड्डा.....	45
5.8 (2) (ii) यातायात नगर	45
5.8 (3) रेल मार्ग एवं हवाई सेवा	45
5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संवर्धन/संग्रहण.....	46
5.10 आपदा प्रबन्धन	46
5.11 परिधि नियंत्रण पट्टी व वृक्षारोपण पट्टी.....	47
5.11 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र.....	48
6. मास्टर प्लान का क्रियान्वयन.....	49
6.1 वर्तमान आधार	50
6.2 प्रस्तावित आधार.....	51
6.3 जन सहयोग एवं जन सहभागिता	52
6.4 भू—उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति.....	52
6.5 पुनरावलोकन.....	53
6.6 उपसंहार	53
परिशिष्ट	
1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण	54
2. राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	57
3. राजकीय अधिसूचना 3(1)क्रमांक प.10(213) नविवि / 3 / 09 दिनांक 13 / 01 / 2010	61
4. राजकीय अधिसूचना 5(1)क्रमांक जे.डी.जे.ड / 1120 / एम. पी. / बिलाड़ा दिनांक 16 / 03 / 2011	62
5. राजकीय अधिसूचना 7(1)क्रमांक प.10(213) नविवि / 3 / 09 दिनांक 15 / 02 / 2012	63

तालिका—सूची

तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, बिलाड़ा—1961—2010	5
2.	व्यावसायिक संरचना, बिलाड़ा—2001	6
3.	विद्यमान भू—उपयोग, बिलाड़ा—2010	7
4.	औद्योगिक संस्थान, बिलाड़ा —2010	9
5.	विभिन्न सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों की स्थिति, बिलाड़ा—2010	10
6.	शैक्षणिक संरचना, बिलाड़ा—2010	12
7.	चिकित्सा सेवाएँ, बिलाड़ा—2010	13
8.	जलापूर्ति, बिलाड़ा—2010	15
9.	विद्युत कनेक्शनों के प्रकार व संख्या, बिलाड़ा—2010	16
10.	जनसंख्या वृद्धि एवं अनुमान, बिलाड़ा—1961—2031	22
11.	अनुमानित व्यावसायिक संरचना, बिलाड़ा—2031.....	23
12.	योजना क्षेत्र, बिलाड़ा—2031	25
13.	प्रस्तावित भू—उपयोग, बिलाड़ा—2031	29
14.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, बिलाड़ा—2031	31
15.	प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र, बिलाड़ा—2031.....	32
16.	विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई,, बिलाड़ा—2031	42
17.	सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, बिलाड़ा—2031.....	43

1

परिचय

1 परिचय

बिलाड़ा, जोधपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 एवं राज्य राजमार्ग संख्या 5 पर एवं जोधपुर शहर से 80 कि.मी. एवं राज्य की राजधानी जयपुर से 260 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बिलाड़ा राजस्थान के पश्चिम में बाणगंगा नदी के दक्षिण दिशा पर स्थित है। बिलाड़ा $26^{\circ} 10' 23.93''$ उत्तरी अक्षांश व $73^{\circ} 41' 17.5''$ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह तहसील मुख्यालय है।

बिलाड़ा जोधपुर ब्राडगेज रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ सेन्ड स्टोन, लाइम स्टोन, कपास व जिनिंग की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। यहाँ पर भूजल की उपलब्धता व उपजाऊ भूमि के कारण यह जोधपुर क्षेत्र का समृद्ध कृषि क्षेत्र है। बिलाड़ा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र होने के कारण इसका तेजी से विस्तार हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर विभिन्न गतिविधियाँ जैसे—यातायात, होटल, दुकानें व बैंक आदि तेजी से विकसित हुए हैं एवं आसपास कृषि भूमि पर दुकानें व मकान आदि भी बन गए हैं। यहाँ कृषि जिन्सों से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित हैं, जहाँ अच्छा उत्पादन हो रहा है।

वर्तमान में यहाँ कृषि उपज मण्डी, फुटकर बाजार, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, तहसील कार्यालय, डाकघर, दूरभाष केन्द्र, चिकित्सालय, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि आवश्यक सुविधाएँ विद्यमान हैं।

यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। गेहूँ कपास, सौफ, मैथी, धनिया व रायड़ा की प्रमुख फसलें हैं। हरा चारे के लिए रिजका की बुवाई विस्तृत क्षेत्र में की जाती है।

यहाँ ठहरने के लिए उपयुक्त व्यवस्था, शॉपिंग सेन्टर (वाणिज्यिक केन्द्र) आमोद—प्रमोद आदि सुविधाओं का अभाव है। पर्याप्त रोक—थाम के अभाव में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण हो रहे हैं। हवा की उचित दिशा और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखे बिना यहाँ औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हो रही हैं। भविष्य में प्रगति की दृष्टि से बिलाड़ा एक तीव्र गति से बढ़ता हुआ औद्योगिक केन्द्र है। विगत वर्षों में शहर के विकास के साथ—साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की नगरीय समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं। पुरानी आबादी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है तथा शहर का अनियोजित, अव्यवस्थित विस्तार हो रहा है। इसके अतिरिक्त पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण, कूड़ा करकट विसर्जन की समस्या, सिवरेज लाईन का अभाव, तंग सड़कों पर बढ़ता हुआ यातायात दबाव, आधारभूत सुविधाओं की कमी, पार्किंग समस्या, अनाधिकृत विकास, आदि यहाँ की ज्वलन्त समस्याएँ हैं। अतः इस क्षेत्र की नगरीय समस्याओं के समाधान हेतु

आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है, जिससे कि शहर में व्याप्त विद्यमान समस्याओं का निदान हो सके।

उपरोक्त सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए बिलाड़ा का मास्टर प्लान तैयार करना आवश्यक हो गया है, जो कि न केवल वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखेगा, अपितु भविष्य में भी विकास के लिए होने वाली नगरीय गतिविधियों को एक नई दिशा-निर्देश प्रदान करा सकेगा।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार किसी भी नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को तैयार करने हेतु किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अधिकृत कर मास्टर प्लान बनाने के दिशा-निर्देश प्रदान कर सकती है। तदनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा-3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 13.01.2010 को अधिसूचना जारी कर इसका नगरीय क्षेत्र अधिसूचित करते हुए बिलाड़ा सहित उसके आस-पास के 11 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर मास्टर प्लान बनाने के लिए वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को अधिकृत किया गया है।

राज्य सरकार की अधिसूचना की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार द्वारा भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य किया गया। जनसांख्यिकी एवं अन्य सभी आंकड़े जनगणना 2001 के आधार पर संकलित किये गये हैं। बिलाड़ा का नगरीय क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.01.2010 को मास्टर प्लान तैयार करने के लिए अधिसूचित किया गया है, जिसका क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है।

प्रस्तुत मास्टर प्लान रिपोर्ट के साथ नगर मानचित्र, विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र-2010, प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र-2031 तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र मानचित्र, आदि संलग्न है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत आम जनता के समक्ष 30 दिन की अवधि में आपत्तियों एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु यह मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आपत्ति एवं सुझाव का विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाकर समुचित सुझाव एवं आपत्तियों को यथा सम्भव समाहित कर, मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया।

(चन्द्र शेखर पाराशार)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसचूना क्रमांक प.10(213)नविवि / 3 / 2009 जयपुर, दिनांक, 15 फरवरी 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट 5)

2

विद्यमान विशेषताएँ

2 विद्यमान विशेषताएँ

बिलाड़ा राजस्थान के पश्चिम में जोधपुर जिले में $26^{\circ} 10' 23.93''$ उत्तरी अक्षांश व $73^{\circ} 41' 17.5''$ पूर्वी देशान्तर पर एवं बाणगंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह जोधपुर जिला मुख्यालय से 80 किमी., राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर स्थित है। बिलाड़ा, राज्य की राजधानी जयपुर से 260 किमी. की दूरी पर स्थित है। बिलाड़ा की सीमा पाली जिले की सीमाओं से लगती है। बिलाड़ा तहसील मुख्यालय है एवं यहाँ नगर पालिका कार्यालय भी स्थित है जो कि दिनांक 01.12.1974 से कार्यरत है। बिलाड़ा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जोधपुर के लिये ट्रेन वाया पीपाड़ शहर चलती है।

2.1 भौतिक स्वरूप व जलवायु

बिलाड़ा की जलवायु गर्म एवं अर्द्ध शुष्क है। जुलाई से सितम्बर माह तक वर्षा ऋतु में यहाँ आर्द्रता अधिक रहती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 412 मिमी है। ग्रीष्म ऋतु गर्म एवं शुष्क रहती है। गर्मियों में औसत तापमान 42° सेन्टीग्रेड एवं सर्दी में औसत तापमान 10° सेन्टीग्रेड तक रहता है। आर्द्रता में बदलाव, तापमान और वर्षा पर निर्भर रहता है। इसलिए अप्रैल एवं मई माह में 30 से 40 प्रतिशत तक आर्द्रता रहती है। लेकिन वर्षा ऋतु में 70 से 80 प्रतिशत एवं सर्दियों में यहाँ 50 से 60 प्रतिशत तक आर्द्रता रहती है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

बिलाड़ा जोधपुर जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। यह पश्चिमी राजस्थान के अर्द्ध मरुस्थली मैदान में स्थित है। कस्बे का ढलान दक्षिण-पश्चिम की तरफ है। इसके आस पास की भूमि बहुत उपजाऊ है। यहाँ वर्ष में दो फसलों की पैदावार ली जाती है। बिलाड़ा कस्बे के आसपास लाईम स्टोन, भवन निर्माण पत्थर एवं बजरी की उपलब्धता है। यह एक धार्मिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है।

2.3 ऐतिहासिक

बिलाड़ा जोधपुर जिले का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कस्बा है। जो जोधपुर से 80 किलोमीटर दूर जोधपुर–जयपुर मार्ग पर स्थित है। जिसे राजा बलि द्वारा बाण गंगा नदी के किनारे बसाया गया था। बिलाड़ा कस्बा एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ बड़ेर चौक में प्रसिद्ध आई माता जी का मंदिर स्थित है।

बाण गंगा, राजा बलि की भाखरी, कल्पवृक्ष, माटमोर बाग, रणिया बेरा, हर्ष देवल, जीजी पाल, रोहितदासजी का जोड़, बेरा बड़ा अरट, आई माताजी का मन्दिर, शहिद स्मारक, दादाबाड़ी, जैन मन्दिर, हनुमान मन्दिर व बालियान गजानंद आदि बिलाड़ा के प्रमुख आस्था के केन्द्र के साथ साथ दर्शनीय स्थल भी हैं।

प्राचीन काल में बिलाड़ा, प्रहलाद के पौत्र एवं विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि की तपस्थली था। बिलाड़ा की धरती को पुराणों में पावन तीर्थ माना गया है। अतः यह स्थान धर्म नगरी के पौराणिक नाम से भी जाना जाता है।

बिलाड़ा से कुछ दूरी पर स्थित पिचियाक में राजा बलि की भाखरी स्थित है, जहाँ पर सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। कहा जाता है कि राजा बलि ने यहाँ पर पाँच अश्वमेध यज्ञ किये थे। राजा बलि की भाखरी के पास घी तलाई स्थित है। कहा जाता है कि यज्ञ के लिए इस तलाई में घी एकत्रित किया जाता था। राजा बलि की भाखरी पर वामन रूप में भगवान विष्णु का आगमन हुआ था। इसलिए इस स्थल के दर्शन एवं पवित्र यज्ञ भूमि की मिट्टी भी पूजनीय है। यहाँ पर सुन्दर मन्दिर बना हुआ है।

2.4 जनांकिकी

बिलाड़ा की जनसंख्या वर्ष 1961 में 12,171 थी जो बढ़कर वर्ष 1971 में 17,525, 1981 में 24,006, 1991 में 31,157 एवं वर्ष 2001 में 38,650 हो गयी। वर्ष 1971 से 2001 के मध्य वृद्धि दर लगभग 33.43 प्रतिशत रही है। वर्ष 2010 में कस्बे की जनसंख्या लगभग 50,000 अनुमानित की गई है। विगत वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि के मुख्य कारणों में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के साथ–साथ व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों से रोजगार सृजन से आव्रजन रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को तालिका संख्या–1 में दर्शाया गया है। यह अनुमान है कि क्षितिज वर्ष 2031 में यहाँ की जनसंख्या 91,000 होगी।

तालिका-1

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति – बिलाड़ा 1961–2010

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	दशक में प्रतिशत वृद्धि
1961	12171	-	-
1971	17525	+5354	43.99
1981	24006	+6481	36.98
1991	31157	+7151	29.79
2001	38650	+7493	24.05
2010	*50000	+11350	29.37

स्रोत : जनगणना विभाग एवं सलाहकार के *अनुमान

2.5 व्यावसायिक संरचना

बिलाड़ा में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2001 में 39.71 प्रतिशत था। बिलाड़ा मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। बिलाड़ा में कृषि एवं इससे सम्बन्धित कार्य से लोगों को सर्वाधिक रोजगार मिला हुआ है। इस क्षेत्र में 52 प्रतिशत व्यक्ति कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों में कार्यरत है। दूसरा स्थान निर्माण क्षेत्र का है जिसमें 19 प्रतिशत कामगार कार्यरत हैं। परिवहन एवं संचार से 8 प्रतिशत, व्यापार एवं वाणिज्य से 6 प्रतिशत और उद्योग से 3 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा 12 प्रतिशत कामगार अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। तालिका संख्या-2 में वर्ष 2001 में बिलाड़ा में व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है।

तालिका-2

व्यावसायिक संरचना, बिलाड़ा-2001

क्र.सं.	व्यवसाय	व्यक्ति	कामगारों का प्रतिशत
1.	कृषि एवं इससे सम्बन्धित कार्य	7,985	52
2.	उद्योग	461	3
3.	व्यापार एवं वाणिज्य	921	6
4.	निर्माण	2,917	19
5.	परिवहन एवं संचार	1,228	8
6.	अन्य सेवाएँ	1,843	12
	योग	15,355	100

स्रोत—भारतीय जनगणना, 2001

2.6 विद्यमान भू—उपयोग

बिलाड़ा का कुल नगर पालिका क्षेत्रफल 27,170 एकड़ (10995.33 हैक्टेयर) है तथा शहर का नगरीयकृत क्षेत्र लगभग 1,197.00 एकड़ (484.41 हैक्टेयर) है। इसमें से लगभग 840 एकड़ (339.94 हैक्टेयर) विकसित क्षेत्र है तथा शेष 357 एकड़ (144.47 हैक्टेयर) भूमि खुले रूप में रिक्त, कृषि, नर्सरी, नदी—नालों एवं जलाशयों के अन्तर्गत आती है। नगरीय क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र सर्वाधिक है, जो लगभग 491 एकड़ (198.70 हैक्टेयर) है तथा विकसित क्षेत्र का लगभग 58.45 प्रतिशत है। परिसंचरण उपयोग नगरीय भू—उपयोग का दूसरा प्रमुख भू—उपयोग है। नगर की वृद्धि मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 के सहारे हो रही हैं। यह लगभग 184 एकड़ (74.46 हैक्टेयर) भूमि में फैला हुआ है, जो कि विकसित क्षेत्र का 21.90 प्रतिशत है। बिलाड़ा के वर्तमान भू—उपयोग को तालिका संख्या-3 में दर्शाया गया है।

तालिका-3

वर्तमान भू-उपयोग, बिलाड़ा—2010

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्र एकड़ में (हैक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीकरण क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	491.00 (198.70)	58.45	41.02
2.	वाणिज्यिक	36.10 (14.61)	04.30	3.02
3.	औद्योगिक	21.00 (8.50)	02.50	1.75
4.	राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय	09.70 (3.93)	01.16	0.81
5.	आमोद—प्रमोद	10.20 (4.13)	01.21	0.85
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	88.00 (35.61)	10.48	7.35
7.	परिसंचरण	184.00 (74.46)	21.90	15.37
	कुल विकसित क्षेत्र	840.00 (339.94)	100.00	70.17
8.	कृषि भूमि एवं खुली भूमि	135.00 (54.63)		11.28
9.	पौधशाला / डेयरी	210.00 (84.98)		17.55
10.	जलाशय	12.00 (4.86)		1.00
	नगरीयकृत	1,197 (484.41)		100.00

स्त्रोत— सलाहकार के सर्वेक्षण

2.6(1) आवासीय

बिलाड़ा में कुल आवासीय उपयोग का क्षेत्रफल लगभग 491 एकड़ (198.70 हैक्टेयर) में है जो कि नगर के विकसित क्षेत्रफल का 58.45 प्रतिशत है। वर्ष 2001 में यहाँ की जनसंख्या 38,650 तथा मास्टर प्लान के आधार वर्ष 2010 में यहाँ की जनसंख्या लगभग 49,750 होने का आंकलन किया गया है। नगर का औसत आवासीय घनत्व लगभग 101 व्यक्ति प्रति एकड़ (250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर) है। पुराने आवासीय क्षेत्रों एवं कच्ची बस्तियों में आवासीय घनत्व अधिक है।

2.6(1)(अ) आवासन

बिलाड़ा नगर पालिका सीमा 25 वार्डों में विभक्त है। बिलाड़ा में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले वार्डों की संख्या 4 हैं, 1500 से 2000 जनसंख्या वाले वार्डों की संख्या 10, 1000 से 1500 जनसंख्या वाले वार्डों की संख्या 10 एवं 1000 से कम जनसंख्या वाले वार्डों की संख्या 1 है। बिलाड़ा की स्थापना योजनाबद्ध रूप में की गई है, परन्तु स्वतन्त्रता के बाद बसी आबादी अनियोजित रूप से बसी हुई है। अधिकांश मकान पक्के बने हुये हैं, जो दो मंजिल तक के हैं।

2.6(1)(ब) कच्ची बस्तियाँ

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिलाड़ा में नगर पालिका क्षेत्र में 22 कच्ची बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों के निवासी कृषि कार्य, डेयरी, तेल मिल, मंडी व दुकानों पर कार्य करते हैं। इन कच्ची बस्तियों में सुविधाओं का प्रायः अभाव है।

2.6(2) वाणिज्यिक

कर्से में सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध बाजार का अभाव है। अधिकांश थोक एवं खुदरा व्यापार सदर बाजार में होता है। कम चौड़ाई के कारण सदर बाजार बहुत ही भीड़—भाड़ वाला क्षेत्र हो गया है तथा आवागमन अवरुद्ध होने की समस्या बनी रहती है। कम जगह के कारण यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की कोई सम्भावना नहीं है। आवासीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित व्यावसायिक केन्द्र के अभाव में अनियन्त्रित एवं अनाधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। यहाँ पर अनाज, पत्थर, फल—सब्जी एवं ईमारती लकड़ी आदि व्यवसायों के लिए कोई विशेष बाजार नहीं है। बिलाड़ा में सदर बाजार, सुभाष चोक, बस स्टेण्ड से सुभाष चौक, बड़ेर चौक सुभाष चौक से अम्बेडकर सर्कल तक तथा अम्बेडकर सर्कल बाजार आदि मुख्य बाजार हैं जंहा विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कृषि उपज मण्डी में थोक व्यापार संचालन किया जाता है। व्यावसायिक उपयोग का कुल क्षेत्रफल 36.10 एकड़ (14.61 हैक्टेयर) है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 4.30 प्रतिशत है।

2.6(3) औद्योगिक

बिलाड़ा में कोई विकसित औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। शहर में लगभग 21 लघु, मध्यम व घरेलू श्रेणी की औद्योगिक इकाईयाँ हैं जिनमें पत्थर, सीमेन्ट पाईप, इत्यादि का कार्य होता है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत लगभग 21 एकड़ (8.50 हैक्टेयर) भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 2.50 प्रतिशत है। बिलाड़ा में स्थित उद्योगों को तालिका संख्या-4 में दर्शाया गया है।

तालिका-4

औद्योगिक संस्थान, बिलाड़ा—2010

क्र. सं.	उद्योग का प्रकार	इकाईयों की संख्या	कामगारों की संख्या
क)	लघु उद्योग		
1.	पत्थर आधारित उद्योग	6	48
2.	सीमेन्ट पाईप आधारित उद्योग	3	30
3.	डेयरी व आईस फेकट्री	2	30
ख)	मध्यम व घरेलू उद्योग		
4.	कम्प्रेशर, वैल्डिंग उद्योग, आटा चक्की, लैथ, इत्यादि	10	25
	योग	21	133

स्रोत : सलाहकार सर्वेक्षण

2.6(4) राजकीय

2.6(4)(अ) सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

बिलाड़ा कस्बा उपखण्ड का मुख्यालय होने के कारण यहाँ पर छोटे-बड़े लगभग 15 सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय स्थित हैं, जिनमें लगभग 1,187 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत 9.70 एकड़ (3.93 हैक्टेयर) भूमि है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 1.16 प्रतिशत है। कस्बे में वर्ष 2010 में विभिन्न सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों की स्थिति तालिका संख्या-5 में दर्शाई गई है।

तालिका-5

विभिन्न सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों की स्थिति, बिलाड़ा—2010

क्र.सं.	कार्यालयों का प्रकार	कार्यालयों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1.	केन्द्र सरकार के सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय	2	130
2.	राज्य सरकार के सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय	13	1057
	योग	15	1187

स्रोत : सलाहकार के सर्वेक्षण

2.6(5) आमोद—प्रमोद

बिलाड़ा में नियोजित रूप से विकसित आमोद प्रमोद के स्थलों का अभाव है। इस भू—उपयोग के अन्तर्गत नगर पालिका के पास स्टेडियम के लिए 10.20 एकड़ (4.13 हैक्टेयर) भूमि आती है जो विकसित क्षेत्र का 01.21 प्रतिशत है।

2.6(5)(अ) उद्यान एवं खुले स्थल

पर्यावरण की दृष्टि उद्यान एवं खुले स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। नगर में एक सार्वजनिक पार्क आदर्श कॉलोनी में पोस्ट ऑफिस के निकट तथा दूसरा किशन पार्क, आई माता मन्दिर के पास स्थित हैं। तीसरा पार्क सुभाष पार्क जो राजकीय तालाब के पास स्थित है।

2.6(5)(ब) स्टेडियम एवं खेल के मैदान

यहाँ पर खेलकूद इत्यादि गतिविधियों के लिये एक स्टेडियम है, जो सीरवी मोती सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है।

2.6(5)(स) मेले एवं पर्यटन सुविधायें

कस्बे के उत्तर में बाण गंगा धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है। कहा जाता है कि राजा बलि ने महायज्ञ के लिए पावन जल प्राप्त करने के लिए एवं अपनी नौ माताओं के मोक्ष के लिए भूमि में बाण मारकर गंगा को प्रकट किया था जिससे इसका नाम बाण गंगा

पड़ा। यहाँ पर एक कुण्ड बना हुआ है। कुण्ड के समीप गंगेश्वर महादेव का अति प्राचीन मन्दिर स्थित है। जहाँ कार्तिक पूर्णिमा (माह नवम्बर) को प्रति वर्ष मेला लगता है। बिलाड़ा की प्रसिद्धि एक पावन तीर्थ की तरह होने के कारण यहाँ दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर नौ सतियों के स्मारक, गंगा मैया का मन्दिर, आई माताजी का मन्दिर, प्रथम दीवान गोविन्द दास जी एवं परम तपस्वी दीवान रोहितदास जी की छतरी, आदि दर्शनीय स्थल हैं। अतः यहाँ पर देश विदेश के अनेकों श्रद्धालू व पर्यटक दर्शनों हेतु आते रहते हैं। पर्यटकों के ठहरने हेतु यहाँ जैन दादाबाड़ी, सीरवी समाज बड़ेर, सोनल होटल, विनय होटल, मरुधर होटल व सभी समाज की धर्मशालाएँ विद्यमान हैं। बिलाड़ा के समीप स्थित पीचियाक में प्रतिवर्ष चैत्र मास में अमावस्या को पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में आस-पास के लोग सम्मिलित होते हैं एवं पशुओं का मेला लगता हैं जहाँ इनका क्रय-विक्रय किया जाता है।

2.6 (5)(द) अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

कर्स्बे में अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की उपलब्धता नगरीय सुविधाओं के अनुरूप नहीं हैं। वर्तमान में कर्स्बे में एक सिनेमा सोजत रोड पर संचालित है।

2.6(6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ

वर्तमान में बिलाड़ा में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग के अन्तर्गत 88 एकड़ (35.61 हैक्टेयर) क्षेत्र है जो कुल विकसित क्षेत्र का 10.48 प्रतिशत है।

2.6(6)(अ) शैक्षणिक

बिलाड़ा में शिक्षण संस्थाएं समुचित संख्या में हैं। यहाँ पर निजी व राजकीय स्तर की कुल 18 शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें कुल 6,087 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन संस्थाओं में लगभग 263 अध्यापक कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र में 13 व 5 राजकीय शिक्षण संस्थान हैं। कुछ ही शिक्षण संस्थानों में खेल के मैदान की सुविधा है। कुछ शिक्षण संस्थानों के स्वयं के भवन हैं तथा कुछ शिक्षण संस्थानों के किराये के भवन हैं। तालिका संख्या-6 में बिलाड़ा में स्थित शिक्षण संस्थाओं के वर्ष 2010 के आंकड़े दर्शाये गये हैं।

तालिका-6

शैक्षणिक संरचना, बिलाड़ा—2010

क्र.सं.	शिक्षण संस्थानों का प्रकार	संस्थानों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	कार्यरत नियोजन
1.	महाविद्यालय	2	358	18
2.	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	6	3634	144
3.	उच्च प्राथमिक	7	1886	86
4.	प्राथमिक	3	209	15
	कुल	18	6087	263

स्त्रोत— विभागीय सर्वेक्षण एवं शिक्षा विभाग, जोधपुर

2.6(6)(ब) चिकित्सा

बिलाड़ा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 2 राजकीय चिकित्सालय (ऐलोपैथिक) हैं। इनमें 12 डॉक्टर 30 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 80 बिस्तरों की व्यवस्था है। बिलाड़ा में एक राजकीय एवं एक निजी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। कस्बे में 6 निजी स्तर के ऐलोपैथिक क्लीनिक संचालित हैं। यहाँ एक पशु चिकित्सालय भी है। बिलाड़ा में 3 निजी दंत चिकित्सालय एवं एक होम्योपैथिक चिकित्सालय भी हैं। कस्बे में चिकित्सा सेवाओं की वर्ष 2010 में उपलब्धता तालिका संख्या—7 में दर्शाई गई है।

तालिका-7

चिकित्सा सेवाएँ, बिलाड़ा—2010

क्र.सं.	चिकित्सालय श्रेणी	संख्या	बिस्तरों की संख्या
1.	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय	01	50
2.	राजकीय महिला एवं शिशु चिकित्सालय	01	30
3.	राजकीय वक्ष चिकित्सालय	01	—
4.	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	01	—
5.	निजी एलोपेथिक विलनिक	06	09
6.	निजी दंत चिकित्सालय	03	03
7.	राजकीय पशु चिकित्सालय	01	
8.	होम्योपैथिक	01	01
	कुल	15	93

स्त्रोत : सलाहकार सर्वेक्षण

2.6(6)(स) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

बिलाड़ा में 2 डाकघर, 1 तारघर, 6 बैंक तथा 1 दूरसंचार केन्द्र स्थित है। यहाँ पर 3 धर्मशालाएं हैं। एक पुलिस थाना है, जो जोधपुर रोड पर स्थित है तथा एक पुलिस चौकी भी है। एक कृषि उपज मंडी है जो बिलाड़ा—सोजत रोड पर है। नगर में दो पेट्रोल पम्प हैं और नगर पालिका के पास अग्निशमन सेवा उपलब्ध है। यहाँ पर मनोरंजन के लिए एक सिनेमा हॉल सुभाष मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर खेलकूद इत्यादि गतिविधियों के लिये एक स्टेडियम है, जो सीरवी मोती सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है जिसके अन्तर्गत लगभग 5.98 एकड़ (2.42 हैक्टेयर) भूमि आती है। आम जन के पठन—पाठन हेतु वाचनालय संचालित है जहाँ विभिन्न समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़ी जा सकती हैं।

श्रद्धालू एवं पर्यटकों के ठहरने के लिए जैन दादाबाड़ी, सीरवी समाज बड़ेर आदि विभिन्न समाजों की धर्मशालाएं भी हैं, सोनल होटल, विनय होटल, व मरुधर होटल उपलब्ध हैं।

2.6(6)(द) सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

बिलाड़ा कस्बा एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ आई माता जी का प्रसिद्ध मंदिर है। बिलाड़ा को धर्म नगरी भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष आई माता जी के मंदिर में मेला भरता है। प्राचीनकाल में बिलाड़ा, प्रहलाद के पौत्र एवं विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि की तपस्थली था। बिलाड़ा की धरती को पुराणों में पावन तीर्थ माना गया है। यहाँ पर एक पक्का सरोवर बना हुआ है जो बाण गंगा के नाम से विख्यात है।

इसके अतिरिक्त बाणगंगा सरोवर के समीप गंगेश्वर महादेव का अति प्राचीन मन्दिर, दादावाड़ी, जैन मन्दिर, हनुमान मन्दिर, अति प्राचीन शिव मन्दिर हर्षा देवल आदि प्रमुख धार्मिक स्थल एवं श्रद्धा के केन्द्र स्थित हैं।

2.6(6)(य) जन उपयोगी सुविधाएँ

बिलाड़ा में पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं मल-जल निस्तारण की व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। अतः नगर के विस्तार के साथ-साथ इन जनोपयोगी सुविधाओं का उचित प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

2.6(6)(य)(i) जलापूर्ति

वर्ष 2001 की जनगणनानुसार बिलाड़ा की जनसंख्या 38,650 है और वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 49,750 है। वर्तमान में प्रतिदिन जल की मांग लगभग 2.5 लाख लीटर है, वहीं सभी स्त्रोतों एवं 6 ट्यूब वैल से कुल उत्पादन 11 लाख लीटर ही है। जलापूर्ति का मुख्य स्रोत नलकूप है। यहाँ पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 4,155 कनेक्शन के माध्यम से जल का वितरण किया जाता है। प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर की दर से जलापूर्ति की जाती है।

बिलाड़ा में जल वितरण हेतु 2 ओवर हेड टैंक है। एक ओवर हेड टैंक जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के परिसर में तथा दूसरा तालाब के पास स्थित है। यहाँ 24 घंटे में एक बार जलापूर्ति की जाती है। बिलाड़ा में वर्ष 2010 में जलापूर्ति हेतु कनेक्शन एवं उपभोग को तालिका संख्या-8 में दर्शाया गया है।

तालिका-8

जलापूर्ति, बिलाड़ा—2010

क्र.सं.	उपयोग	कुल कनेक्शन
1.	घरेलू	3949
2.	वाणिज्यिक	201
3.	औद्योगिक	4
4.	अन्य	1
	कुल—	4155

स्त्रोत— जलदाय विभाग, जोधपुर

2.6(6)(य)(ii) मल—जल निस्तारण एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

बिलाड़ा मे मल जल निस्तारण की कोई सुनियोजित व्यवस्था नही है। यहाँ पर मल जल का निस्तारण नालियों मे ही किया जाता है। कस्बे मे भूमिगत गंदे पानी एवं मल के निस्तारण को उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जल निकासी के लिए नालियां व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं है। कई क्षेत्रों एवं कच्ची बस्तियों मे नाली सुविधाएं नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर फैलता रहता है जो कि स्वारक्ष्य के लिए हानिकारक है। वर्षा ऋतु में यह समस्या ओर भी जटिल हो जाती है। कस्बे में दूषित जल के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पानी इधर—उधर फैलता रहता है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। वर्तमान में ठोस कचरा निस्तारण के लिए जेतावास सड़क पर गुर्जरों का ढाणा के पास 12.51 एकड़ (5.06 हैक्टर) का डम्पिंग ग्राउंड है।

2.6(6)(य)(iii) विद्युत आपूर्ति

बिलाड़ा में विद्युत आपूर्ति जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा की जाती है। ऊर्जा की आपूर्ति 33 के.वी. फीडर सब स्टेशन, 220/33 के.वी.जी.एस.एस. से की जाती है। यह विद्युत आपूर्ति भीलवाड़ा व जोधपुर से प्राप्त होती है। कस्बे के विभिन्न भागों में औद्योगिक इकाईयाँ रथापित हो जाने से घरेलू उपयोग एवं औद्योगिक आपूर्ति हेतु प्रयोग में आने वाली विद्युत लाईनें बहुत ही अनियोजित तरीके से बिछाई हुई है। जिससे शहर के कई क्षेत्र प्रभावित हुए व विकास में भी विद्युत लाईनें बाधक बनी है। स्ट्रीट लाईट व्यवस्था भी

संतोषजनक नहीं है। नगर में वर्तमान विद्युत कनेक्शन को तालिका संख्या—9 में दर्शाया गया है।

तालिका—9

विद्युत कनेक्शनों की संख्या, बिलाड़ा—2010

क्र.सं.	विद्युत कनेक्शन का प्रकार	विद्युत कनेक्शनों की संख्या
1.	घरेलू	3706
2.	वाणिज्यिक	1597
3.	औद्योगिक	318
4.	कृषि से सम्बन्धित	229
5.	जलदाय विभाग	2
6.	स्ट्रीट लाईट्स	16
7.	अन्य	792
	कुल	6660

स्रोत— वि.वि.नि.लि., बिलाड़ा

2.6(6)(य)(iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान

बिलाड़ा कस्बे में कुल 2 श्मशान बाण गंगा नदी पर स्थित हैं तथा 1 कब्रिस्तान जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी कार्यालय के पास भावी रोड़ पर स्थित हैं। नदी के किनारे कई समाजों के श्मशान व समीप में धर्मशालाएँ स्थित हैं। इनको विद्यमान भू—उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है।

2.6(7) परिसंचरण

बिलाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—112 द्वारा जोधपुर, अजमेर एवं ब्यावर से जुड़ा हुआ है। जोधपुर जिला मुख्यालय यहाँ से 80 किमी. की दूरी पर स्थित है। बिलाड़ा में रेल मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 भलीभांति जुड़ा होने से परिवहन की दृष्टि से महत्ता बढ़ी है। इस भू—उपयोग के अन्तर्गत लगभग 184 एकड़ (74.46 हैक्टेयर) भूमि है, जो कुल विकसित क्षेत्रफल का 21.90 प्रतिशत है।

2.6(7)(अ) यातायात व्यवस्था

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—112 बिलाड़ा को जोधपुर, अजमेर एवं ब्यावर से जोड़ता है। जबकि राज्य राजमार्ग 62 इसको बरना से जोड़ता है। शहर में संकड़ी गलियाँ हैं, जिनकी चौड़ाई अनियमित है तथा लगभग 10 फीट से 25 फीट के मध्य है, जो सुगम आवागमन एवं यातायात के लिए अपर्याप्त है। थोक एवं फुटकर व्यापार एवं व्यवसाय भी इन्हीं मार्गों पर होता है, जो कि इस व्यवसाय से जुड़े हुए वाहनों के लिए अपर्याप्त है। यहाँ की सड़कों की सामान्य चौड़ाई भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इन सड़कों के साथ—साथ बड़े—बड़े निर्माण कार्य बिना स्वीकृति के हो गये हैं। साथ ही इन मार्गों पर अतिक्रमण भी स्थान ले चुके हैं। सड़कों को संकड़ा कर दिया गया है। वर्तमान बस स्टेण्ड शहर के मध्य में स्थित है जहां भीड़ भरे क्षेत्र में बड़े वाहन संचालन करना जोखिम भरा हुआ है। शहर के विकास की संभावनाओं को देखते हुए यह अपर्याप्त प्रतीत होता है। पार्किंग स्थल अपर्याप्त होने से वाहन सड़कों के मार्गाधिकार क्षेत्र में खड़े किये जाते हैं। इससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है तथा दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती हैं।

2.6(7)(ब) बस सेवा तथा ट्रक टर्मिनल

वर्तमान बस स्टेण्ड जोधपुर—अजमेर मार्ग पर स्थित है व शहर के विकास की सम्भावना को देखते हुए अपर्याप्त है। निजी बसों के ठहराव हेतु कोई व्यवस्थित बस स्टेण्ड नहीं है।

यहाँ कोई ट्रक स्टेण्ड या ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। वर्तमान में ट्रासपोर्ट एजेन्सियाँ मुख्य सड़कों के समीप कार्य कर रही हैं। मुख्य सड़कों के मार्ग अधिकार में ही ट्रकों के लदान कार्य होने से यहाँ यातायात अवरुद्धता की समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं।

2.6(7)(स) रेल सेवा/हवाई सेवा

बिलाड़ा रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जोधपुर के लिये जोधपुर बिलाड़ा शटल ट्रेन वाया पिपाड़ शहर चलती है। बिलाड़ा में कोई हवाई पट्टी या हेलीपैड नहीं है। जिला व संभागीय मुख्यालय जोधपुर में निकटतम हवाई सेवा 80 किलोमीटर दूरी पर उपलब्ध है।

३

नियोजन की संकल्पना

नियोजन की संकल्पना

प्राचीन काल से ही मानव अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं के आदान-प्रदान, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं धार्मिक पूजा-पाठ, सामाजिक क्रियाकलापों के लिए समूह में रहता रहा है। इन सभी पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वरूप ही नगरों की संरचना आरम्भ हुई। नगर के भौतिक स्वरूप व इसकी संरचना में इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान नगरवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मध्यकाल के दौरान सुरक्षा ही मानव का मुख्य लक्ष्य था। अतः नगरों का विकास सामरिक महत्व के स्थलों जैसे जलाशयों, पहाड़ियों के मध्य होना प्रारम्भ हुआ। बाद में ये प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शिक्षा आदि के केन्द्र बने व आर्थिक गतिविधियों उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यिक एवं यातायात इत्यादि का विकास होता रहा। इससे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

स्वतन्त्रता के पश्चात् से सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जिसके फलस्वरूप लघु एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का तेजी से विकास हुआ। विकास की तीव्र प्रवृत्ति से नगर नियोजकों को नगरों के सुनियोजित विकास योजनाओं को बनाने की ओर सोचना पड़ा, अन्यथा योजना के अभाव में ये नगर गंदी बस्तियों के रूप में विकसित हो जाते तथा बड़े शहरों की तरह अनियोजित व भीड़-भाड़ जैसी विकट समस्याएँ उत्पन्न होने लगी हैं। अतः इन समस्याओं के निराकरण एवं नगरों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु आवश्यकता महसूस की गई।

भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा किसी भी नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप विकास की दिशा में विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाता है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तन्त्र की संरचना तैयार की जाती है। एक बार यदि नगर के सम्बन्ध में कोई बड़े निर्णय कर लिये जाते हैं तो प्रतिदिन की समस्याओं के निराकरण हेतु एक ढांचे के सन्दर्भ में क्रियान्वयन आसान होता है। जिससे नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य व उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

नियोजन की भाषा में इस प्रकार के ढांचे को मास्टर प्लान कहा जाता है। मास्टर प्लान में भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों का लिखित विवरण

होता है। इससे भू-उपयोग योजना के अलावा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को विस्तार से व्याख्या करने की विधि है। यह कुशल यातायात व्यवस्था से सम्बन्धित आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को भी दर्शाता है।

मास्टर प्लान नगर के प्रशासन और जनता को निश्चित मार्ग दर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की जन साधारण की प्रबल आकांक्षा होती है। अतः कतिपय मान्यतायें निर्धारित करके उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर नगर का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। बिलाड़ा के नगरीय क्षेत्र के ड्राफ्ट मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी बिन्दुओं पर विचार किया गया है।

3.1 नियोजन की नीतियाँ

यह निश्चित है कि बिलाड़ा, जोधपुर जिले का तहसील मुख्यालय होने, सेन्ड स्टोन व लाइम स्टोन उद्योग की औद्योगिक इकाइयाँ होने, भूजल की उपलब्धता व उपजाऊ भूमि होने के कारण यह औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कृषि गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा तथा आने वाले वर्षों में इन गतिविधियों में अधिकाधिक वृद्धि होने की सम्भावना है। यहाँ आई माता जी का प्रसिद्ध मंदिर बाणगंगा और कल्पवृक्ष, आदि धार्मिक आस्था व श्रद्धा के केन्द्र है। इसका धार्मिक नगरी के रूप में और पर्यटन के क्षेत्र में महत्व बना रहेगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बिलाड़ा के विकास की प्रबल सम्भावना है। इन सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ का सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास आवश्यक है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

उपरोक्त नियोजन नीतियों की पालना में निम्नांकित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैं:-

1. हवा की दिशा को मध्य नज़र रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र शहर के ऐसे भाग में स्थापित किये जाने चाहिए जिससे नगर के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन हो सके।
2. वाणिज्यिक गतिविधियों के वितरण हेतु पुराने शहर पर कम दबाव हो, अतः नये वाणिज्यिक केन्द्रों का समुचित आवासीय क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। थोक व्यापार

के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इसके साथ—साथ गोदामों का प्रावधान किया जाना भी आवश्यक है।

3. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय एक संगठित क्षेत्र में स्थापित हो, उसके समीप आवास हेतु पर्याप्त भूमि हो एवं इनका सीधा सम्पर्क मुख्य सड़कों से होना चाहिए।
4. आवासीय घनत्व की विषमता को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्य स्थलों का समुचित विकास, मूल आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि पुराने शहर के निवासी बाहरी क्षेत्रों में निवास हेतु आकर्षित हो सके।
5. भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के लिए सावधानी पूर्वक स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।
6. सामुदायिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं का इस तरह सन्तुलित वितरण किया जाना चाहिए जिससे नगरवासी उपरोक्त स्थलों तक आसानी से पहुंच सके।
7. विरासत के रूप में प्राप्त ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नगर की परम्परागत सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट होने से बचाया जा सके।
8. नगर के लिए यातायात की ऐसी कुशल व्यवस्था विकसित की जावे जो भू—उपयोग योजना के अनुरूप हो। बस स्टेप्ड एवं माल गोदाम के स्थलों का विकास उचित क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिए बाह्य मार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने हेतु वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जाने चाहिए।
9. नगर की परिधि पर किसी भी प्रकार के अनियोजित व अवांछित विकास को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से नगरीकृत सीमाओं के चारों ओर परिधि नियन्त्रण पट्टी बनायी जावे। इस पट्टी के अन्दर की ओर ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमों व अनुज्ञेय प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाना चाहिये।
10. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को योजना क्षेत्रों में बाँटा जाये। भू—उपयोग का निर्धारण इस प्रकार किया जावे की पुराने शहर व नये विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों में सामंजस्य बना रहे। विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से स्वपूरित व आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कार्य क्षेत्रों के साथ—साथ उनके समीप ही

विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों को विकसित किया जावे तथा वहीं पर सामुदायिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का विकास किया जाए, ताकि जीवन स्तर के उच्च मानक प्राप्त किए जाकर जीवन सुविधाजनक हो सके।

बिलाड़ा का मास्टर प्लान यहाँ के लोगों की भावी आवश्यकताओं एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मास्टर प्लान का प्रारूप विभागीय नीति एवं जनहित में मार्गदर्शक के रूप में आगामी 22 वर्षों के लिए तैयार किया गया है। यह प्लान वर्ष 2010 के आंकड़ों एवं सूचनाओं पर आधारित है। इसका क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है। अतः यह एक दीर्घकालीन योजना है जो भविष्य की अनुमानित आवश्यकताओं के सन्तुलित एवं समग्र विकास का अभिनव प्रयास है। यह प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के प्रावधान के तहत तैयार किया गया है तथा राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात यह एक वैधानिक दस्तावेज बन जाता है।

4

भावी आकार

4 भावी आकार

वर्ष 2001 में बिलाड़ा कस्बे की जनसंख्या 38,650 थी जो मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में लगभग 91,000 होने का अनुमान है। बिलाड़ा के मास्टर प्लान हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 11 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है।

4.1 जनांकिकी

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर बिलाड़ा की जनसंख्या 38,650 थी। 1991–2001 के दशक के दौरान यह वृद्धि दर 24.05 प्रतिशत रही। यह अनुमान लगाया गया है कि योजना अवधि अर्थात् 2031 तक इस कस्बे की जनसंख्या 91,000 तक हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय प्राकृतिक वृद्धि, औद्योगीकरण से प्रवासीकरण को ध्यान में रखा गया है। प्रवास (माइग्रेशन) का आंकलन करते समय नगर की अर्थ व्यवस्था की भावी सम्भावनाओं का पूरा—पूरा ध्यान रखा गया है। बिलाड़ा की वर्ष 1961 से 2031 तक की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानों को तालिका संख्या—10 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या—10

जनसंख्या वृद्धि एवं अनुमान, बिलाड़ा —1961–2031

क्र.सं.	वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि अन्तर	प्रतिशत वृद्धि दर
1.	1961	12171	—	—
2.	1971	17,525	5,354	43.99
3.	1981	24,006	6,481	36.98
4.	1991	31,157	7,151	29.79
5.	2001	38,650	7,493	24.05
6.	2010	*50,000	11,350	22.70
7.	2011	*51,000	1,000	1.96
8.	2021	*68,000	17,000	25.0
9.	2031	*91,000	21,000	25.27

स्रोत : जनगणना भारत सरकार एवं सलाहकार के *अनुमान

4.2 व्यावसायिक संरचना

क्षितिज वर्ष 2031 तक कुल जनसंख्या में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात 38 प्रतिशत होने का अनुमान है। कर्स्बे की व्यावसायिक संरचना का आंकलन करते समय औद्योगिक विकास व आर्थिक गतिविधियों की सम्भावनाओं पर पूर्ण ध्यान दिया गया है। वर्ष 2031 में श्रमिकों की संख्या लगभग 34,000 हो जाने का अनुमान है। जिले का तहसील मुख्यालय होने के कारण वर्ष 2031 तक बिलाड़ा पूर्ण आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रीय केन्द्र बना रहेगा, जिसमें अन्य सेवाओं में रोजगार 26 प्रतिशत, व्यापार व वाणिज्य में 24 प्रतिशत एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार 14 प्रतिशत तक बना रहेगा। प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना तथा प्रत्येक वर्ग में काम करने वालों का प्रतिशत तालिका संख्या—11 में दर्शाया गया है।

तालिका—11

अनुमानित व्यावसायिक संरचना, बिलाड़ा —2031

क्र.सं.	व्यावसाय	काम करने वालों की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि एवं इससे सम्बन्धित कार्य	4,760	14
2.	उद्योग	5,780	17
3.	व्यापार एवं वाणिज्य	8,160	24
4.	निर्माण	3,060	9
5.	परिवहन एवं संचार	3,400	10
6.	अन्य सेवाएँ	8,840	26
	कुल योग	34,000	100

स्त्रोत : सलाहकार के अनुमान

4.3 नगरीय क्षेत्र

बिलाड़ा का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक—प.10(213)नविवि/3/09 दिनांक—13/01/2010 द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) उपधारा (1) के अन्तर्गत बिलाड़ा सहित 11 राजस्व ग्रामों को समिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है, जिसका

कुल क्षेत्रफल लगभग 61,176 एकड़ (24,757.09 हैक्टेयर) है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियन्त्रित करके, पर्यावरण संरक्षण एवं कृषि क्षेत्र की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए परिधि नियन्त्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। बिलाड़ा के नगरीय क्षेत्र को चार योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 11 राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ट-3 पर दर्शाई गई है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 तक बिलाड़ा की जनसंख्या लगभग 91,000 होने की संभावना है। शहर की वर्ष 2001 की जनसंख्या 38,650 है। इस प्रकार बढ़ी हुई जनसंख्या लगभग 52,000 के लिये अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। शहर के भावी विस्तार हेतु वर्तमान वृद्धि की प्रवृत्ति विकास के लिये क्षेत्र का उपयुक्त होना, भूमि का मितव्ययता से उपयोग, भौतिक अवरोधों एवं सम्पूर्ण पर्यावरण आदि को ध्यान में रखा गया है। शहर के उत्तर में भावी विकास/विस्तार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग 112 के दोनों ओर प्रस्तावित किये गये हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रस्तावों हेतु रिक्त भूमि उपलब्ध है।

भविष्य के विकास हेतु अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक 91,000 जनसंख्या के लिये पर्याप्त आवासीय क्षेत्रों, कार्य स्थानों, सामुदायिक सुविधाओं के साथ सुगम यातायात व्यवस्था, इत्यादि के लिए लगभग 2,472 एकड़ (1000.38 हैक्टेयर) भूमि की आवश्यकता होगी। नगर का प्रस्तावित घनत्व 37 व्यक्ति प्रति एकड़ (90 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर) होने का अनुमान है, ताकि नगरीयकरण योग्य भूमि कम से कम परिवर्तित हो। कुल नगरीयकरण योग्य भूमि का वर्गीकरण उनके विभिन्न उपयोगों हेतु तथा भावी जनसंख्या के कार्यकलापों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

4.5 योजना क्षेत्र

बिलाड़ा के प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को विकास की दृष्टि से मुख्यतः तीन योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। योजना क्षेत्रों का निर्धारण करते समय यहाँ की भौगोलिक स्थिति, धरातल, स्वरूप, नगर की विद्यमान विकास प्रवृत्ति, आवश्यकताएँ, प्रस्तावित भौतिक स्थल, वर्तमान प्रणाली, भौतिक अवरोधों, आर्थिक गतिविधियों व विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक कार्य सम्बन्धों, पर्यावरण संरक्षण, आदि को ध्यान में रखा गया है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में सामन्जस्य बना रहे इसका विशेष ध्यान रखा गया है। सन्तुलित एवं सुव्यवस्थित विकास आज की मुख्य आवश्यकता है।

रेलवे लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के उत्तर की ओर का समस्त क्षेत्र उत्तरी योजना क्षेत्र के रूप में विभक्त किया गया है जिसकी अन्तिम सीमा नगरीयकरण योग्य सीमा तक होगी। रेलवे लाईन के दक्षिण में एवं राज्य राजमार्ग 62 (सोजत रोड़) के पश्चिमी में स्थित क्षेत्र को दक्षिणी—पश्चिमी योजना क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इसकी पश्चिमी सीमा नगरीयकरण योग्य सीमा या प्रस्तावित बाह्य सड़क तक रखी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 112 के दक्षिण एवं राज्य राजमार्ग 62 के पूर्व का समस्त क्षेत्र दक्षिणी—पूर्वी योजना क्षेत्र के रूप में रखा गया है। इसकी पूर्वी सीमा प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग सोजत रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग 112 तक रखी गई है।

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में स्थित योजना क्षेत्रों में रोजगार, आवास, स्थानीय बाजार, आमोद—प्रमोद, खुले स्थल एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे योजना क्षेत्र अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे। प्रत्येक योजना परिक्षेत्र, राजस्व ग्राम तथा प्रस्तावित विकास योजना क्षेत्रों की सीमाओं को नगरीय मानचित्र में दर्शाया गया है। यह मानचित्र अधिसूचित नगरीय क्षेत्र को भी दर्शाता है, जिसमें बिलाड़ा शहर एवं अन्य राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। ये योजना परिक्षेत्र प्राथमिक रूप से समस्त नगरीयकरण योग्य क्षेत्र को अपने में सम्मिलित करते हैं। नगरीकरण योग्य के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी दर्शाई गई है। प्रत्येक योजना क्षेत्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्र तथा जनसंख्या को तालिका संख्या—12 में सूचीबद्ध किया गया है।

तालिका—12

योजना क्षेत्र, बिलाड़ा—2031

क्र.सं.	योजना क्षेत्र	क्षेत्रफल एकड़ में (हैक्टेयर में)	जनसंख्या
अ	उत्तरी योजना क्षेत्र	926 (374.74)	32,000
ब	दक्षिण—पश्चिमी योजना क्षेत्र	814 (329.41)	30,000
स	दक्षिण—पूर्वी योजना क्षेत्र	732 (296.23)	29,000
	नगरीयकरण योग्य कुल क्षेत्र	2,472 (1,000.38)	91,000
द	परिधि नियंत्रण पट्टी	58,704 (23,756.71)	—
	अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	61,176 (24,757.09)	—

स्रोत : सलाहकार के अनुमान।

प्रत्येक योजना उप क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। राजस्व ग्रामों की सीमा, तहसील सीमा, नगर पालिका सीमा, वर्तमान विकसित क्षेत्र वर्ष 2010 तथा वर्ष 2031 तक प्रस्तावित विकास की सीमाओं को भी यह मानचित्र दर्शाता है। इस मानचित्र में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा को भी स्पष्ट अंकित किया गया है, जो 11 राजस्व ग्रामों को मिलाकर बनाया गया है। इस अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 61176 एकड़ (24,757.09 हे.) है। प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 2472 एकड़ (1000.38 हे.) है और इसके चारों ओर 58704 एकड़ (23756.71 हे.) क्षेत्र को परिधि नियंत्रण पट्टी के रूप में दर्शाया गया है।

चार योजना क्षेत्रों में सम्मिलित समस्त क्षेत्र नगरीय क्षेत्र होगा, नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की भूमि के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी होगी जिसमें मुख्यतः गौशाला, दुग्ध शाला, मोटल, पेट्रोल पम्प, कुकुट शाला, रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, मनोरंजन उद्यान, जल उद्यान, ईंट भट्टे, चूना भट्टे तथा कृषि आधारित लघु उद्योग आदि अनुज्ञेय हैं।

4.5(अ) उत्तरी योजना क्षेत्र

रेलवे लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के उत्तर की ओर का समस्त क्षेत्र उत्तरी योजना क्षेत्र के रूप में विभक्त किया गया है जिसकी अन्तिम सीमा नगरीयकरण योग्य सीमा तक होगी।

यह योजना परिक्षेत्र लगभग 926 एकड़ (374.74 हैक्टेयर) में स्थित है। इस क्षेत्र में जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग कार्यालय, 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, बाणगंगा कुण्ड, मालियों की पिपल्या बस्ती, गौशाला, आदि स्थित हैं। इस योजना परिक्षेत्र में 32,000 व्यक्ति निवास करेंगे।

4.5(ब) दक्षिण-पश्चिमी योजना क्षेत्र

बिलाड़ा कर्से के इस भाग में रेलवे लाईन के दक्षिण में एवं राज्य राजमार्ग संख्या 62 (सोजत रोड) के पश्चिमी में स्थित क्षेत्र को दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इसकी पश्चिमी सीमा नगरीयकरण योग्य सीमा तक रखी गई है।

इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 814 एकड़ (329.41 हैक्टेयर) में प्रस्तावित किया गया है। यह क्षेत्र शहर का पुराना भाग या गहन निर्मित तथा घनी आबादी वाला क्षेत्र है।

इस योजना क्षेत्र में प्रसिद्ध आई माता मन्दिर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड आदि विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस, सीनियर सैकण्डरी स्कूल, 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, मरुधर केसरी जैन अस्पताल, रोहित दास नगर, आदि स्थित हैं। सड़कें संकड़ी होने एवं भीड़—भाड़ वाला इलाका होने से आवागमन सुगमता से नहीं होता है। इस परिक्षेत्र में सामुदायिक एवं जनसुविधाओं, खुले स्थलों, पार्कों आदि सुविधाओं का भी अभाव है। इस योजना परिक्षेत्र का सुधार एवं विकास नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत किया जाना प्रस्तावित है। इस परिक्षेत्र में लगभग 30,000 व्यक्ति निवास करेंगे।

4.5(स) दक्षिण—पूर्वी योजना क्षेत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग 112 के दक्षिण एवं राज्य राजमार्ग 62 के पूर्व का समस्त क्षेत्र दक्षिण—पूर्वी योजना क्षेत्र के रूप में रखा गया है। इसकी पूर्वी सीमा नगरीयकरण योग्य सीमा तक रखी गई है।

यह योजना क्षेत्र लगभग 732 एकड़ (296.23 हैक्टेयर) में प्रस्तावित किया गया है। कस्बे का यह भाग भी शहर का पुराना भाग या गहन निर्मित तथा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नगर पालिका कार्यालय, सीरवी मोती सिंह स्टेडियम, राजीया तालाब, कृषि उपज मण्डी समिति, 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन, राजकीय महिला एवं बाल चिकित्सालय, इम्मानुएल स्कूल, आदि स्थित हैं। इस क्षेत्र में लगभग 29,000 व्यक्ति निवास करेंगे।

4.5(द) परिधि नियन्त्रण पट्टी

उपरोक्त योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त, जो क्षेत्र नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य शेष रह जाता है, वह इस श्रेणी के अन्तर्गत शामिल किया गया है। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र का उद्देश्य नगर की परिधि में व सड़कों के सहारे—सहारे होने वाले अनियोजित विकास को रोकना है। यह क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहां पर भूमि का उपयोग कृषि, वन, बागवानी, उद्यान एवं इससे सम्बन्धित कार्यों के लिये ही किया जायेगा। इस योजना क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित राजमार्ग सेवा केन्द्र, ग्रामीण आबादी का विस्तार, गौशाला, दुग्ध शाला, मोटल, पेट्रोल पम्प, कुक्कुट शाला, रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र, मनोरंजन उद्यान, जल उद्यान, ईंट भट्टे, चूना भट्टे तथा कृषि आधारित लघु उद्योग भी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सक्षम स्वीकृति लेकर किये जा सकेंगे।

5

भू-उपयोग योजना

5

भू-उपयोग योजना

बिलाड़ा नगरीय क्षेत्र के भावी विकास की दिशा को निर्देशन प्रदान करना मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। मास्टर प्लान विभिन्न भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों, अध्ययनों, वर्तमान विकास प्रवृत्ति, वृद्धि दर की प्रवृत्ति, आर्थिक संरचना यातायात व्यवस्था एवं शहर के वांछित विकास की दिशा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2010 एवं क्षितिज वर्ष सन् 2031 रखा गया है। मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर का संतुलित एवं समन्वित विकास करना है। इसके साथ-साथ शहर के निवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। अतः मास्टर प्लान नगर के भावी नियोजित विकास के लिये मार्गदर्शक का कार्य करेगा।

5.1 नगरीयकरण क्षेत्र

जनगणना अनुमान के अनुसार बिलाड़ा की जनसंख्या वर्ष 2031 में 91,000 होने की संभावना है। शहर की वर्ष 2001 की जनसंख्या 38,650 है। इस प्रकार बढ़ी हुई जनसंख्या लगभग 52,000 के लिये अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। शहर के भावी विस्तार हेतु वर्तमान वृद्धि की प्रवृत्ति विकास के लिये क्षेत्र का उपयुक्त होना, भूमि का मितव्ययता से उपयोग, भौतिक अवरोधों एवं सम्पूर्ण पर्यावरण आदि को ध्यान में रखा गया है। शहर का भावी विकास मुख्यतः विद्यमान विकसित शहर से इसके उत्तर ओर स्थित बाण गंगा नदी तक के क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। इस दिशा में भूमि रिक्त है तथा आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है।

भविष्य के विकास हेतु अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक 91,000 की जनसंख्या के लिये पर्याप्त आवासीय क्षेत्रों, कार्य स्थलों, सामुदायिक सुविधाओं के साथ सुगम यातायात व्यवस्था के लिए 2,472 एकड़ (1000.38 हैक्टेयर) भूमि की आवश्यकता होगी। नगर का प्रस्तावित घनत्व 37 व्यक्ति प्रति एकड़ (91 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर) होने का अनुमान है, ताकि नगरीयकरण योग्य भूमि कम से कम परिवर्तित हो। कुल नगरीयकरण योग्य भूमि का वर्गीकरण उनके विभिन्न उपयोगों हेतु तथा भावी जनसंख्या के कार्यकलापों की

आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। तालिका संख्या—13 में वर्ष 2031 के लिए बिलाड़ा के लिए प्रस्तावित भू—उपयोगों को दर्शाया गया है।

तालिका—13

प्रस्तावित भू—उपयोग, बिलाड़ा—2031

क्र.सं.	भू—उपयोग	क्षेत्र एकड़ में (हैक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीकरण क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	1,327 (537.02)	53.92	53.68
2.	वाणिज्यिक	147 (59.49)	5.97	5.95
3.	औद्योगिक	98 (39.66)	3.98	3.96
4.	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी	32 (12.95)	1.30	1.29
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	214 (86.60)	8.70	8.66
6.	आमोद—प्रमोद	122 (52.20)	5.24	5.22
7.	परिसंचरण	521 (208.00)	20.89	20.79
	प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र	2,461 (995.93)	100.00	—
9.	कृषि, डेयरी एवं रिक्त भूमि	2 (0.81)	—	0.08
10.	जलाशय, नदी एवं नाले	9 (3.64)	—	0.37
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	2,472 (1,000.38)	—	100.00

स्त्रोत : सलाहकार के अनुमान एवं सर्वेक्षण।

5.2 आवासीय

एक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित आवासीय विकास तथा कार्य केन्द्र व आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराने हेतु बिलाड़ा में दो प्रकार के घनत्व वाली आवासीय बस्तियाँ विकसित की जायेंगी, जिनमें पहला 50 से अधिक लेकिन 100 से कम घनत्व वाला क्षेत्र होगा तथा दूसरा 100 व्यक्ति प्रति एकड़ (250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर) एवं इससे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र होगा। नीति के अन्तर्गत कोई भी नया आवासीय क्षेत्र 50 व्यक्ति प्रति एकड़ (125 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर) से कम घनत्व वाला विकसित नहीं किया जायेगा।

शहर की भविष्य की आवश्यकताओं को एवं अनुमानित 91,000 जनसंख्या को मध्य नज़र रखते हुए आवासीय उपयोग हेतु 1,327 एकड़ (537.02 हैक्टेयर) भूमि का मास्टर प्लान में प्रावधान किया गया है जो कुल विकसित क्षेत्र का 53.92 प्रतिशत है। शहर का औसतन समग्र आवासीय घनत्व लगभग 70 व्यक्ति प्रति एकड़ (173 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर) होने का

अनुमान है। शहर के भीतरी घने आबादी वाले क्षेत्रों में तथा कार्य स्थलों के पास तुलनात्मक दृष्टि से अधिक घनत्व रहने की सम्भावना है। शहर के बाहरी क्षेत्रों में कम घनत्व रहने का अनुमान है। सामुदायिक सुविधाओं, जैसे— सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक पार्क, स्थानीय बाजार आदि का प्रावधान आवासीय क्षेत्रों के समीप किया गया है। प्राथमिक विद्यालय, डिस्पेन्सरी, नित्योपयोगी वस्तुओं की दुकानें, स्थानीय पार्क एवं सामुदायिक सुविधाओं आदि को विस्तृत आवासीय योजना तैयार करते समय उचित स्थानों पर रखने का प्रावधान है। मास्टर प्लान में दो प्रकार के आवासीय घनत्व प्रस्तावित किये गये हैं। शहर के पुराने भाग में, कार्य स्थलों और वर्तमान अर्द्ध विकसित क्षेत्र के पास लगने वाले क्षेत्रों में घनत्व 100 व्यक्ति प्रति एकड़ (250 व्यक्ति प्रति हैकटेयर) एवं इससे अधिक प्रस्तावित है। शेष बचे क्षेत्रों में, जो कि अधिकतर बाहरी भाग के क्षेत्र है, सघनता 50–100 व्यक्ति प्रति एकड़ (125–250 व्यक्ति प्रति हैकटेयर) के मध्य प्रस्तावित है। बिलाड़ा में कुछ कच्ची बस्तियाँ भी बसी हुई हैं। ऐसे क्षेत्रों में, सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के साथ पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत इनके सुधार को प्रधानता दिया जाना आवश्यक है।

5.2(1) नगरीय नवीनीकरण

नगर में अनियमित एवं अनियोतिज ढंग से बसे हुए क्षेत्रों में रख—रखाव और नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राचीन क्षेत्रों के लिए भी संरक्षण कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। पुराने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जन घनत्व अत्यधिक है तथा पक्की सड़कें, सीधर लाईन, गन्दे पानी के निकास की नालियाँ, पेयजल वितरण व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, आदि का अभाव है या जीर्ण—शीर्ण अवस्था में या अस्त—व्यस्त है, वहाँ पर नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत विकास के कार्य किये जाने प्रस्तावित है। पुनर्वास उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जो आवास के योग्य नहीं हैं। पुनर्विकास कार्य उन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जहाँ कच्ची बस्तियाँ नियमित हो चुकी हैं। कच्ची बस्ती क्षेत्रों के सुधार और उनके पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है। पुनर्वास की समस्याओं पर एकीकृत दृष्टिकोण से विचार किया जाकर इस कार्य हेतु विस्तृत योजनाएँ विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी योजनाएँ बनाते समय यह ध्यान रखा जावेगा कि इनसे न्यूनतम विस्थापन हो। मार्गाधिकार क्षेत्र में से अतिक्रमणों को हटाया जाना, विद्यमान उद्यान स्थलों को विकसित करने, पर्यावरण संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण की आवश्यकता है।

5.2(2) आवासन कच्ची बस्तियाँ/अनौपचारिक (इन्फॉर्मल) सेक्टर के लिए आवास

विकासशील नगरों में कच्ची बस्तियाँ प्रमुख समस्याओं में से एक हैं तथा इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनके सुधार एवं पुनर्स्थापना से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू करने हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं, जिससे एक वृहद योजना को तैयार करते समय विस्थापन में कम से कम प्रभाव पड़े, ऐसा दृष्टिकोण ध्यान में रखना होगा। इस सम्बन्ध में सबसे पहला कदम पर्यावरण सुधार कार्यक्रम की ओर लिया जायेगा। इसमें जरूरी आवश्यक सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, सार्वजनिक शौचालय, नालियाँ, पक्की सड़कें, गलियों में रोशनी, इत्यादि उपलब्ध कराना सम्मिलित है। राज्य सरकार की एफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत छोटे आवास का निर्माण करवाया जावेगा।

5.3 वाणिज्यिक

बिलाड़ा, जोधपुर जिले का कृषि आधारित व्यापार व वाणिज्य का महत्वपूर्ण केन्द्र है। रेल तथा सड़क यातायात से आस-पास के क्षेत्रों से भली-भांति जुड़ा होने के फलस्वरूप बिलाड़ा शहर भविष्य में भी वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बना रहेगा। मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पूर्ति हेतु लगभग 147 एकड़ (59.49 हैक्टेयर) भूमि का प्रावधान किया गया है। इन गतिविधियों में कर्से में विभिन्न भागों में अधिक तर्क संगत रूप से वितरित किये जाने और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिये मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र तक जाने से बचने के लिये एक पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई हैं, ताकि विभिन्न स्तरों पर वाणिज्यिक सुविधायें उपलब्ध हो सकें, जैसा की तालिका संख्या-14 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 14

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण – बिलाड़ा – 2031

क्रं.सं.	गतिविधियों के प्रकार	क्षेत्रफल (एकड़ में) हैक्टेयर
1.	वाणिज्यिक केन्द्र	(16) 6.48
2.	सामुदायिक केन्द्र	(30) 12.14
3	थोक व्यापार	(43) 17.40
4.	भण्डारण एवं गोदाम	(58) 23.47
	योग	(147) 59.49

5.3 (1) वाणिज्यिक केन्द्र

बिलाड़ा व्यापार व वाणिज्य का महत्वपूर्ण केन्द्र है। पुराने शहर में सदर बाजार यहाँ का मुख्य बाजार हैं। शहर के ऐतिहासिक, परम्परागत और आर्थिक महत्व को देखते हुए प्रस्तावित गतिविधियों के साथ-साथ, पुराना शहर, वर्तमान बस स्टेप्ड एवं रेलवे स्टेशन के पास का क्षेत्र भविष्य में भी व्यावसायिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बना रहेगा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भी वाणिज्यिक केन्द्र हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। सड़क यातायात से आस-पास के क्षेत्रों से भली-भांति जुड़ा होने के फलस्वरूप और इस क्षेत्र से बाहर भवन निर्माण सामग्री सम्बन्धी गतिविधियों को स्थानान्तरित करने से इन क्षेत्रों से भीड़ कुछ कम हो जाएगी, ऐसी आशा की जाती है। साथ ही भविष्य में भी बिलाड़ा शहर वाणिज्यिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बना रहेगा। अनौपचारिक क्षेत्र भी निर्धारित किये जाकर ठेले वाले व अव्यवस्थित व्यापारियों को यथा सम्भव यातायात क्षेत्रों से दूर अनौपचारिक स्थान उपलब्ध करवा कर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

5.3(2) सामुदायिक केन्द्र

बिलाड़ा में नये विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों की वाणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। इन केन्द्रों में खुदरा दुकान, जलपान गृह, छवि गृह, बैंक, डाकघर, व पेट्रोल पम्प इत्यादि स्थित होंगे। इनकी स्थिति मय क्षेत्रफल तालिका संख्या—15 में दर्शाई गई हैं।

तालिका संख्या—15

प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र, बिलाड़ा

क्रं.सं.	सामुदायिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित स्थल	क्षेत्रफल (एकड़ में) हैक्टेयर में
1.	बर रोड के दक्षिण में प्रस्तावित बस स्टेप्ड के पास	(7.5) 3.04
2.	बिजंवाड़िया रोड पर	(4.5) 1.82
3.	पश्चिमी की ओर प्रस्तावित बाह्य मार्ग के पास	(5.5) 2.23
4.	रेल्व लाइन के उत्तर में प्रस्तावित बाह्य मार्ग के पास	(7.5) 2.02
5.	राज्य राजमार्ग 62 पर कृषि उपज मण्डी के सामने	(5.0) 2.02

5.3(3) विशिष्टिकृत एवं थोक व्यापार

थोक व्यापार हेतु हर्ष रोड के पास विद्यमान कृषि उपज मण्डी स्थित है। इसका विस्तार करना एवं नियोजित रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। नये थोक व्यापार बाजार हेतु स्थलों का चयन, समान आपूर्ति क्षेत्र, सड़कों की श्रृंखला तथा सम्बन्धित समस्याओं को ध्यान में रखकर किया गया है। थोक व्यापार हेतु लगभग 23 एकड़ (9.31 हैक्टेयर) भूमि कस्बे के उत्तर-पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 बर रोड के उत्तर में प्रस्तावित की गई है।

5.3(4) भण्डारण एवं गोदाम

बिलाड़ा में भू-जल की उपलब्धता व उपजाऊ भूमि के कारण यह जोधपुर का समृद्ध कृषि क्षेत्र है। कृषि, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए रख-रखाव एवं भण्डारण सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है। उक्त स्थलों को भू-उपयोग प्लान में अंकित किया गया है, इन्हें प्रमुख सम्पर्क मार्गों पर सामानों एवं सेवाओं के स्वच्छन्द वितरण की सुविधाओं हेतु रखा गया है। इस उपभोग में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लगभग 10 एकड़ (4.05 हैक्टेयर) भूमि रेल लाइन के दक्षिण में प्रस्तावित बाव्य मार्ग के पास प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 बर रोड पर भी लगभग 43 एकड़ (17.40 हैक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर लगभग 5 एकड़ (2.02 हैक्टेयर) भूमि का प्रावधान किया गया है।

5.4 औद्योगिक

भविष्य में प्रगति की दृष्टि से बिलाड़ा एक तीव्र गति से बढ़ता हुआ औद्योगिक केन्द्र है। पिछले कुछ वर्षों में बिलाड़ा में छोटे स्तर पर अनेक सेन्ड स्टोन व लाइम स्टोन आधारित औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हुई हैं तथा यही स्थिति भविष्य में भी निरन्तर रहने की प्रतीत होती है। ऐसी सम्भावना है कि बिलाड़ा में वर्ष 2031 तक लगभग 114 एकड़ (46.13 हैक्टेयर) भूमि औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत हो जायेगी। उद्योगों में काम करने वालों का प्रतिशत वर्ष 2031 तक कुल काम करने वालें कामगारों का 17 प्रतिशत होने का अनुमान है।

5.4(1) औद्योगिक क्षेत्र

बिलाड़ा में सामान्यतः औद्योगिक इकाईयों की प्रकृति सेन्ड स्टोन व लाईम स्टोन आधारित हैं। अतः कम घनत्व वाले क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया है।

वर्तमान में औद्योगिक इकाईयाँ शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं। नियोजित औद्योगिक विकास के लिये यह वांछनीय है कि उन्हें एक संगठित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाए। इस प्रकार जन उपयोगी सेवाओं की आपूर्ति आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक इकाई के लिए लाभप्रद रहेगी।

आवासीय क्षेत्र में विद्यमान अनियोजित एवं बिखरी हुई औद्योगिक इकाईयों को नये औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु विभिन्न पहलुओं को जिसमें भूमि, हवा की दिशा, यातायात सम्पर्क इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित औद्योगिक स्थल का चयन किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र हेतु कस्बे के उत्तर-पूर्व दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 बर रोड पर इसके दक्षिण दिशा में लगभग 98 एकड़ (39.66 हैक्टेयर) भूमि का प्रावधान किया गया है। शहर के बाहर होने से पर्यावरण में सुधार लाया जा सकेगा।

5.4(2) घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योगों को हाल-फिलहाल उनके वर्तमान स्थलों पर ही निरन्तर कार्य करने की छूट प्रदान की जायेगी, लेकिन उन्हें पर्यावरण से संबंधित निश्चित मापदण्डों में छूट प्रदान नहीं की जायेगी। सेवा देने वाले एवं घरेलू उद्योगों को विभिन्न वाणिज्यिक क्षेत्रों में कार्य करने की छूट दी जा सकेगी। उनके कार्य स्थलों का निर्धारण निश्चित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों को विस्तृत प्लान में, सेवा देने वाले उद्योगों के लिए निर्धारित निश्चित स्थलों पर दर्शाया जायेगा तथा उस क्षेत्र में उसी प्रकार की इकाईयों को स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी, जिसमें लघु आटा मिल, बेकरीज, लघु मरम्मत की दुकानें, सिलाई की दुकानें, इत्यादि सम्मिलित हैं। आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में गृह उद्योग एवं विशिष्ट साफ-सुथरे उद्योगों को कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी। इनके स्थलों का इस प्रकार चयन किया जायेगा कि यह उद्योग ध्वनि प्रदूषण, यातायात मापदण्डों एवं औद्योगिक कचरे के निस्तारण के मानदण्डों का पालन करते हों।

5.5 राजकीय

5.5(अ) सरकारी एवं अर्द्ध—सरकारी कार्यालय

इस अवधारणा के साथ कि भविष्य में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय व्यवस्थित रूप से कार्यालय कॉम्प्लेक्स में स्थापित होंगे, जिसके पास ही आवास एवं अन्य सुविधाओं हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सकेगी। ऐसा करना अन्तर्विभागीय सहयोग एवं गुणवत्ता की दृष्टि से भी लाभदायक रहेगा, जो शहरवासियों के लिए सुविधाजनक भी रहेगा।

सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में वर्ष 2031 तक कुल काम करने वालों के रोजगार के अनुपात में वृद्धि होगी। वर्ष 2031 तक विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में कुल 8,966 व्यक्ति कार्यरत होने का अनुमान हैं। अतः सरकारी कार्यालयों हेतु पर्याप्त भूमि की आवश्यकता रहेगी। वर्तमान सरकारी भवन प्रारूप स्थलों के मापदण्डों को यह मानकर कि सामान्यतः नये सरकारी भवन दो मंजिल तक के होंगे, को स्वीकार किया गया है परन्तु आवश्यतानुसार मंजिले बढ़ाई जा सकेगी। अतः वर्ष 2031 तक सरकारी कार्यालयों हेतु लगभग 32 एकड़ (12.95 हैक्टेयर) भूमि की आवश्यकता रहेगी। इसमें से लगभग 15.8 एकड़ (6.39 हैक्टेयर) भूमि हर्ष सड़क पर कृषि उपज मण्डी के सामने रखी गई हैं और 6.5 एकड़ (2.63 हैक्टेयर) भूमि हर्ष सड़क पर 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के पास प्रस्तावित की गई है।

5.6 आमोद—प्रमोद

सार्वजनिक उद्यान, क्रीड़ा स्थल, पार्क एवं खुली जगह लोगों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। ऐसे स्थल कर्से में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के साथ—साथ नागरिकों के मनोरंजन के लिए आवश्यक होते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए योजना में इन स्थलों का युक्ति संगत वितरण किया गया है। मास्टर प्लान की योजना अवधि वर्ष 2031 तक की आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थलों पर कुल 122 एकड़ (49.37 हैक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई हैं।

5.6(1) उद्यान एवं खुले स्थल

सार्वजनिक उद्यान और खुले स्थान नगर के स्वच्छ आवासीय वातावरण के लिए आवश्यक होते हैं, जिसका प्रभाव वहाँ के निवासियों के सामाजिक और भौतिक स्वास्थ्य में

झालकता है। कस्बे में नगरीय स्तर के उद्यान का अभाव है। इस कमी की पूर्ति करने हेतु शहर के उत्तरी भाग में बाणगंगा कुण्ड के पास लगभग 26.8 एकड़ (10.85 हैक्टेयर) भूमि मेला स्थल के रूप में प्रस्तावित कि गई है। उद्यान एवं खुली जगहों के उपयुक्त स्थल भू-उपयोग योजना 2031 में दर्शाये गये हैं।

5.6(2) स्टेडियम एवं खेल मैदान

बिलाड़ा में एक स्टेडियम विद्यमान है जो कि सीरवी मोती सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न खेलों एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कस्बे में शहर के उत्तरी भाग में प्रस्तावित बाह्य मार्ग के पास और बाणगंगा कुण्ड के पास लगभग 26.72 एकड़ (10.81 हैक्टेयर) भूमि पर स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है।

5.6(3) मेला एवं पर्यटन सुविधाएँ

बिलाड़ा में आई माताजी का प्रसिद्ध मन्दिर, बाणगंगा सरोवर के समीप गंगेश्वर महादेव का अति प्राचीन मन्दिर, दादावाड़ी, जैन मन्दिर, हनुमान मन्दिर, अति प्राचीन शिव मन्दिर हर्षा देवल, आदि प्रमुख धार्मिक स्थल एवं श्रद्धा स्थलों के होने के कारण यह प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। बिलाड़ा में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेला एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु मेला स्थल प्रस्तावित किया गया है। यह मेला स्थल बाणगंगा नदी के पास प्रस्तावित बाह्य मार्ग पर 26.80 एकड़ (10.85 हैक्टेयर) भूमि पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। आस-पास एवं सड़कों के सहारे वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर्यटकों के ठहरने हेतु धर्मशालाएँ, होटल, आदि ठहरने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

5.7 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामुदायिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं को एक समुदाय के लिये विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराना होता है। ऐसी सुविधाओं का वितरण सुसंगत तरीके से किया गया है। आवासीय घनत्व, उस क्षेत्र की प्रकृति, भविष्य में विस्तार की सम्भावना और भूमि की उपलब्धता को भी ध्यान में रखकर इन सुविधाओं का वितरण किया गया है। मास्टर प्लान में इन सुविधाओं के लिए लगभग 214 एकड़ (86.60 हैक्टेयर) क्षेत्र आरक्षित रखा गया है।

5.7(1) शैक्षणिक

नगर की भावी शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2031 तक के लिये यह प्रारूप तैयार किया गया है। प्राथमिक, सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों के स्थानों की अनुमानित संख्या को आंकी गयी जनसंख्या 91,000 के अनुरूप तैयार किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए शिक्षण आवश्यकताओं हेतु आवश्यकतानुसार भूमि का विभिन्न स्थानों पर प्रावधान रखा गया है, जिसमें प्राथमिक स्तर से महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षण संस्थाओं हेतु आवश्यक भूमि का प्रावधान समिलित है। प्राईमरी एवं नर्सरी स्तर की शैक्षणिक सुविधाएँ, आवासीय क्षेत्रों में उपलब्ध करवायी जायेगी। अतः उनकी स्थिति को भू-उपयोग योजना में अलग से दर्शाया नहीं गया है। दोनों योजना क्षेत्रों का विस्तृत प्लान तैयार करते समय इन स्कूलों के स्थलों को विशेष तौर से दर्शाया जायेगा। भू-उपयोग योजना में माध्यमिक (सैकण्डरी) एवं उच्च माध्यमिक (सीनियर सैकण्डरी) स्कूलों के स्थानों को दर्शाया गया है। वर्तमान स्कूलों के भविष्य के विस्तार को भी समिलित किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान समस्त आठवीं कक्षा (उच्च प्राथमिक) तक की स्कूलों को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा। वर्तमान में यहाँ 2 महाविद्यालय हैं। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नया महाविद्यालय रेल लाईन के उत्तर में शहर के मध्य भाग में प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए 18 एकड़ (7.28 हैक्टेयर) भूमि आरक्षित कि गई है। व्यावसायिक संस्थान हेतु बिंजवाड़िया रोड पर भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके लिए 29 एकड़ (11.74 हैक्टेयर) भूमि आरक्षित की गई है। यहाँ पर राज्य की नीतियों एवं भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख कर सन् 2031 तक के लिये लगभग 29 एकड़ (11.74 हैक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई हैं।

5.7(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

वर्तमान में बिलाड़ा में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय चेस्ट चिकित्सालय एवं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सहित राजकीय व निजी स्तर की पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। भविष्य की आवश्यकताओं के लिए रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर लगभग 5 एकड़ (2.02 हैक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई हैं। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सालय हेतु बाणगंगा कुण्ड के दक्षिण में बाह्य मार्ग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर लगभग 5 एकड़ (2.02 हैक्टेयर) भूमि पर प्रस्तावित की गई है।

5.7(3) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थल

मास्टर प्लान क्रियान्वयन के अन्तर्गत आवासीय/अन्य सामुदायिक सुविधा योजनाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक भवनों के लिये भूमि प्रस्तावित की जा सकेगी। बिलाड़ा में विद्यमान धार्मिक, ऐतिहासिक एवं धरोहर स्थलों के रख-रखाव, जीर्णोद्धार करना एवं संरक्षण पर यथोचित ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। ये स्थल हमारी प्राचीन धरोहर भी हैं जिसे सुरक्षित व सुन्दर स्वरूप देना प्रस्तावित है।

5.7(4) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

अन्य उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ जैसे— टेलीफोन सेवा, डाक एवं तार घर, पुलिस थानों, दूरभाष केन्द्र, अग्निशमन केन्द्र, क्लब, सिनेमा हॉल, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, रंगमंच, आदि अन्य सामुदायिक सुविधाएँ भी महत्वपूर्ण हैं, जिनका योजना में प्रावधान करना अति आवश्यक है। अतः इस हेतु प्रत्येक योजना परिक्षेत्र में भूमि का प्रावधान किया गया है, ताकि आवश्यकतानुसार इन स्थलों को विकसित किया जा सके।

5.7(5) जनोपयोगी सुविधाएँ

पानी, मल जल निकास एवं उचित नालियों की व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की बजह से इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। एक नगर के समुचित विकास के लिए समुचित जलापूर्ति का होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्वच्छ वातावरण हेतु गन्दे जल की निकासी का उचित प्रबन्ध होना तथा नालियों की भी व्यवस्था होना आवश्यक है। अतः इस हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जायेगी। तथापि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाणगंगा नदी के दक्षिण दिशा की तरफ और शहर से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर प्रस्तावित बाह्य मार्ग पर 7.5 एकड़ (3.04 हैक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त 7.31 एकड़ (2.96 हैक्टेयर) भूमि करघे के उत्तर में बाण गंगा नदी के दक्षिण में विद्यमान सड़क पर प्रस्तावित की गई है।

5.7(5)(अ) जलापूर्ति

बिलाड़ा में औसतन पानी की आपूर्ति वर्तमान में प्रतिदिन जल की मांग 2.5 लाख लीटर है, वहीं सभी स्रोतों एवं 6 ट्यूब वैल से कुल उत्पादन 11 लाख लीटर ही है। वर्ष

2031 में बिलाड़ा की जनसंख्या लगभग 91,000 हो जायेगी, जिससे पानी की आपूर्ति की मांग में वृद्धि भी होगी। पानी के नये कनेक्शन हेतु नये स्ट्रोतों को बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी, जिससे भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जोधपुर से बिलाड़ा तक राजीव गांधी लिफट नहर के माध्यम से केन्द्र सरकार की एक परियोजना दांतिवाड़ा-पिपाड़-बिलाड़ा के द्वारा कर्स्बे की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है।

5.7.5(ब) मल-जल निस्तारण प्रबन्धन

शहर में मल-जल निस्तारण प्रणाली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मल-जल का निस्तारण नालियों में ही किया जाता है। इससे कई बार उचित तल का निर्धारण नहीं हो पाता है। नगर पालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नालियों का निर्माण भी टुकड़ों में करवाया जाता है जिससे कई बार उचित स्तर (लेवल) का निर्धारण नहीं हो पाता है। शहर के गन्दे पानी के निकास व नालियों के निर्माण की कोई नियमित योजना नहीं बनी हुई है। शहर में खुली नालियां होने से गन्दा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे वातावरण और आवागमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः योजना में यह सुझाव दिया जाता है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सम्पूर्ण बिलाड़ा नगरीय क्षेत्र के लिये एक एकीकृत मल-जल निकास योजना तैयार करनी चाहिये। ऐसी योजना शहर की आकृति, बसावट एवं ढलान तथा विभिन्न दिशाओं के विकास को ध्यान में रखा जाकर तैयार की जायेगी ताकि प्रत्येक स्तर के लिए विकास कार्य किया जा सके।

5.7.5(स) ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

कूड़े करकट और गन्दगी के ढेरों को ठीक प्रकार से साफ कराने की व्यवस्था के साथ-साथ अच्छे वातावरण और रहने की जगह को स्वच्छ रखने का कार्य होना आवश्यक है। इस गन्दगी और कूड़ा करकट के निस्तारण की जगह शहर से दूर होनी चाहिये। नगर पालिका प्रशासन द्वारा ठोस कचरे के निस्तारण के लिए कर्स्बे के दक्षिण की ओर 4.5 किलोमीटर की दूरी पर जैतावास सड़क पर गुजरों का ढाणा के पास 12.51 एकड़ (5.06 हैक्टेयर) भूमि प्रस्तावित की गई है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर की सड़कों पर से गन्दगी के ढेरों को साफ करने की आवश्यक तकनीक व यंत्रों को क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

5.7.5(द) विद्युत आपूर्ति

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ-साथ विभिन्न योजना क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। बिलाड़ा में मुख्य रूप से कृषि एवं औद्योगिक विस्तार की प्रबल सम्भावना के कारण विद्युत की खपत अधिक होगी। वर्तमान में कस्बे में की जा रही विद्युत आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। भविष्य में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रयासरत है, जिससे मांग व पूर्ति में अन्तर समाप्त हो सकेगा।

5.7.6 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में शहर में स्थित श्मशान घाट और कब्रिस्तान को यथावत रखा गया है, परन्तु जो श्मशान स्थल शहर के विकसित भागों में स्थित है, उनमें चारों ओर वृक्षारोपण कर चार दिवारी बनाया जाना प्रस्तावित है। नये श्मशान घाट और कब्रिस्तान मांग के अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थापित किये जाना प्रस्तावित है।

5.8 परिसंचरण

एक सुदृढ़ परिसंचरण प्रणाली शहर की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति की द्योतक होती है। बिलाड़ा अपने पृष्ठ क्षेत्र में प्रमुख सेवा केन्द्र की भूमिका निभाता रहेगा और यहां पर उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में तीव्र विकास होगा। अतः कस्बे में वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल परिसंचरण व्यवस्था होनी चाहिए।

सड़क, परिवहन साधनों का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिलाड़ा कस्बे में यातायात योजना को भू-उपयोग प्लान के तहत सम्पर्क भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है। जिससे लोगों को सामान एवं सेवाओं के लिए आवागमन की अच्छी सुविधाएँ प्रदान की जा सके। एक श्रृंखलाबद्ध सड़कों का पदानुक्रम में प्रावधान किया गया है। बिलाड़ा में सार्वजनिक निमार्ण विभाग द्वारा जोधपुर सड़क पर स्थित पुलिस थाना के नजदीक से खारीया मीठापुर तक 8.30 किलोमीटर लम्बाई में एक बाह्य मार्ग बनाया जा रहा है (जो कि विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 112 के उत्तर दिशा में है)। इससे सुगम आवागमन उपलब्ध हो सकेगा। परिसंचलन प्रयोजनार्थ प्रारूप मास्टर प्लान में 537 एकड़ (217.32 हैक्टेयर) भूमि का प्रावधान रखा गया है।

5.8(1) प्रस्तावित यातायात संरचना

भू-उपयोग योजना में सड़क, परिवहन साधनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिलाड़ा मास्टर प्लान में यातायात योजना को भू-उपयोग योजना में सम्पर्क भाग के रूप में दर्शाया गया है। वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत लगभग 184 एकड़ (74.46 हैक्टेयर) क्षेत्र आता है जो कर्स्बे के विकसित क्षेत्रफल का 21.9 प्रतिशत है। योजना अवधि तक इस उपयोग के अन्तर्गत लगभग 537 एकड़ (217.32 हैक्टेयर) क्षेत्र आएगा जो प्रस्तावित कुल विकसित क्षेत्र का 21.68 प्रतिशत है।

कर्स्बे के नगरीयकरण क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने, सुगम आवागमन, सुरक्षित यात्री परिवहन एवं माल परिवहन हेतु योजना में श्रृंखलाबद्ध सड़कें प्रस्तावित की गयी हैं, जो जनसाधारण के लिए सुविधाजनक होंगी। इससे बिलाड़ा में यातायात सुरक्षित, सुगम, समुचित गति से निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगा। बिलाड़ा में मुख्य रूप से बस स्टेण्ड से सोजती गेट के मध्य यातायात का दबाव अत्यधिक रहता है। यातायात की समस्या को कम करने के लिये शहर के बाहर पूर्व की ओर हाई टेंशन लाईन के समीप 60 मीटर चौड़ा बाईपास प्रस्तावित किया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 से प्रारम्भ होकर दक्षिण में प्रस्तावित बाह्य मार्ग पर मिलता है। इस बाईपास रोड़ पर पुराना बस स्टेण्ड से सोजती गेट होते हुए औद्योगिक क्षेत्र में जाने वाला भारी यातायात शहर के बाहर से निकल जायेगा। शहर के चारों ओर बाह्य मार्ग/रिंग रोड़ प्रस्तावित की गई है। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 से उच्छ्याड़ा, बिंजवाड़िया, हर्ष, बरना की ओर जाने वाले राज्य राजमार्ग 62 को काटते हुए, जैतावास, बीजासनी, मलकोशिनी, पश्चिम में रेलवे लाईन को पार करते हुए, जोधपुर से कर्स्बे की ओर आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 को काटते हुए बाणगंगा के पास से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बार को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर पुनः मिलेगी। इसकी चौड़ाई 30 मीटर रखी गई है। रिंग रोड़ विभिन्न गाँवों के बाई-पास के रूप में भी उपयोगी होने के साथ-साथ सम्पूर्ण नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के विभिन्न भागों को एक-दूसरे से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

समस्त आन्तरिक सड़के सर्विस रोड पर यथा संभव एक किलोमीटर की दूरी के अन्तराल पर ही मिलेगी। तत्पश्चात् यह सर्विस रोड़ यथा संभव राजमार्ग/बाई-पास के कारण दो किलोमीटर की दूरी के बाद ही मिलेगी। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा

सकेगा कि राजमार्गों/बाईं-पास पर यातायात सुरक्षित एवं समुचित गति से निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

राजमार्ग/बाईंपास के साथ-साथ वे समस्त भू-उपयोग मापदण्डों के अनुसार स्वीकृति दिये जाने पर आ सकेंगे जो कि परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अनुज्ञेय हैं तथा अन्य भू-उपयोग जैसे कि राजमार्ग सेवा केन्द्र ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थापित तथा ग्रामीण आबादी का विस्तार, मोटल, कुक्कुट शालाएं, पेट्रोल पम्प एवं रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र तथा कृषि आधारित लघु उद्योग भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना एवं प्रक्रिया के अनुसोदित किये जा सकेंगे।

प्रमुख एवं उप प्रमुख मार्ग विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्रों से सीधा सम्पर्क स्थापित करवायेंगे, जबकि प्रमुख मार्ग विभिन्न आवासीय क्षेत्रों एवं कार्य क्षेत्रों से सीधा सम्पर्क उपलब्ध करवायेंगे। ये सभी मार्ग प्रमुख विचरण प्रणाली के भाग हैं। यहाँ फीडर मार्ग, कलेक्टर स्ट्रीट, आवासीय गलियाँ एवं लूप स्ट्रीट्स भी उपलब्ध रहेगी, जिसकी विस्तृत रूपरेखा योजना परिक्षेत्र एवं क्षेत्रीय प्लान तैयार करते समय तैयार करते समय तैयार की जायेगी। विभिन्न मार्गों का अन्तिम क्रियान्वयन निर्धारित मौके की भौतिक स्थिति, निर्माणों इत्यादि को दृष्टिगत रखकर किया जायेगा।

5.8(1)(अ) सड़कों का मार्गाधिकार

अन्तर शहरीय यातायात के लिए बाईं पास मार्गों का अलग से प्रावधान किया गया है। एक श्रृंखलाबद्ध सड़क पद्धति का प्रावधान शहर में व्यवस्थित आवागमन हेतु किया गया है। विभिन्न सड़कों के निर्धारित मार्गाधिकार को तालिका संख्या-16 में दर्शाया गया है।

तालिका- 16

विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई, – बिलाड़ा – 2031

क्र.सं.	सड़कों का प्रकार	मार्गाधिकार मीटर (फीट) में न्यूनतम
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व बाह्य मार्ग	60 (200')
2.	प्रमुख मार्ग	36 (120')
3.	उप प्रमुख मार्ग	30 (100')
4.	मुख्य मार्ग/ ग्रामीण सड़कें	24 (80')
5.	अन्य मार्ग	18 (60') एवं कम

तालिका संख्या—17

सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार —बिलाड़ा—2031

क्र.सं.	सड़कों की श्रेणी	प्रस्तावित न्यूनतम मार्गाधिकार मीटर (फीट) में
1.	<u>राष्ट्रीय राजमार्ग / बाह्य मार्ग</u> 1 राष्ट्रीय राजमार्ग 112 व बर रोड से दक्षिण दक्षिण बाह्य मार्ग 2 जोधपुर सडक पर प्रस्तावित उत्तर बाह्य मार्ग 3 बिलाड़ा की दक्षिणी बाह्य सीमा से राज्य राजमार्ग संख्या 62 बरना को	60 (200') 60 (200') 60 (200')
2.	<u>प्रमुख मार्ग</u> 1 पूर्व की ओर एच.टी. लाईन के नीचे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग 112 के दक्षिण में 3. भावी सड़क	36 (120') 36 (120') 36 (120')
3.	<u>उप प्रमुख सड़कें</u> 1 दक्षिणी—पूर्वी बाह्य सीमा से हर्ष को 2 बिलाड़ा की दक्षिणी बाह्य सीमा से जेतावास को 3 बिलाड़ा की दक्षिणी—पश्चिमी बाह्य सीमा से बिजासनी को 4 पश्चिमी बाह्य सीमा से बिंजवाड़िया को 5 पश्चिमी बाह्य सीमा से मालकोशनी सड़क 6 उचियारड़ा सड़क 7 राष्ट्रीय राज मार्ग के उत्तर व दक्षिण में बाह्य मार्ग तक प्रस्तावित एवं विद्यमान विभिन्न सड़कें	30 (100') 30 (100') 30 (100') 30 (100') 30 (100') 30 (100') 30 (100')
4.	<u>मुख्य मार्ग</u> 1 भू—उपयोग मानचित्र में दर्शित विद्यमान एवं प्रस्तावित मुख्य मार्ग 2 राष्ट्रीय राज मार्ग के उत्तर व दक्षिण में बाह्य मार्ग तक प्रस्तावित एवं विद्यमान विभिन्न सड़कें	24 (80') 24 (80')

5.8(1)(ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनमें सुधार कार्य करना

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें, जिन्हें भू-उपयोग योजना में प्रमुख तथा मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो मापदण्डों के अनुसार ही होगा। उन स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना सम्भव नहीं हो अथवा जहाँ अत्यधिक संख्या में पक्के भवनों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहाँ संस्था द्वारा निर्णय लेकर सुविधानुसार न्यून स्तर के मापदण्ड अपनाये जा सकते हैं। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। बिलाड़ा बस स्टेण्ड से सोजत गेट तक 77 फीट, सोजट गेट से अम्बेडकर चौराहा तक 85 फीट, अम्बेडकर चौराहा से सिरवी मोती सिंह स्टेडियम तक 111 फीट चौड़ाई की सड़क उपलब्ध हैं जिसका मार्गाधिकार बस स्टेण्ड से अम्बेडकर चौराहा तक 100 फीट, अम्बेडकर चौराहा से बाह्य मार्ग तक 120 फीट रखा जाना प्रस्तावित है।

5.8(1)(स) चौराहों/जंकशनों का विकास

नगर में यातायात के सुरक्षात्मक एवं निर्बाध रूप से संचालन में जो बाधाएँ आती हैं उनमें चौराहों के अनुचित आकार/डिजाइन प्रमुख हैं। अतः विद्यमान/प्रस्तावित चौराहों/जंकशनों का विकास एवं निर्माण विस्तृत योजना बनाकर किया जाना प्रस्तावित है। यातायात अध्ययनों/नियमों के तहत सुदृढ़ यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए उचित डिजाइन/आकार में चौराहों का निर्माण, विकास एवं सौन्दर्यकरण किया जाना अपेक्षित है।

5.8(1)(द) पार्किंग स्थलों का विकास

बिलाड़ा में सड़कों का मार्गाधिकार कम होने के कारण वाहनों की पार्किंग में काफी परेशानी होती है। अतः कस्बे के उत्तर-पूर्वी दिशा में प्रस्तावित बस स्टेण्ड के पास उचियारड़ा को जाने वाली सड़क पर पार्किंग स्थल के लिए 4 एकड़ (1.62 हैक्टेयर) भूमि आरक्षित की गई है तथा बाण गंगा नदी के पास प्रस्तावित बाह्य मार्ग पर एक मेला स्थल प्रस्तावित किया गया है जिसके समीप भी 3 एकड़ (1.21 हैक्टेयर) भूमि पार्किंग के उपयोग हेतु आरक्षित रखी गई है। स्थानीय निकाय द्वारा भी पार्किंग हेतु स्थलों का चयन कर पार्किंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

5.8.2 बस अड्डा तथा यातायात नगर :

5.8.2(i) बस अड्डा

बिलाड़ा में दो बस स्टेप्ड विद्यमान हैं। इसमें एक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का तथा एक निजी बस स्टेप्ड है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जोधपुर रोड़ पर व प्राईवेट बस स्टेप्ड भी इसके निकट ही है। पुराने शहर के मध्य स्थित वर्तमान यात्री बस स्टेप्ड वहाँ की वर्तमान आवश्यक मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है। यह अत्यन्त भीड़—भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके विस्तार हेतु भी यहाँ पर स्थान उपलब्ध नहीं है। भारी यातायात दबाव के कारण यहाँ बसों के सुचारू रूप से संचालन में बाधा आती है। यातायात अवरुद्ध हो जाता है। अतः बर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर लगभग 9.09 एकड़ (3.67 हैक्टेयर) भूमि बस स्टेप्ड के लिये प्रस्तावित की गयी है।

5.8.2(ii) यातायात नगर

वर्तमान में यहाँ पर कोई परिवहन नगर नहीं है। यहाँ पर परिवहन नगर की मांग व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक परिवहन नगर पृथक से बर की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर प्रस्तावित बाह्य मार्ग के समीप प्रस्तावित किया गया है।

ट्रांसपोर्ट नगर हेतु लगभग 16.23 एकड़ (6.56 हैक्टेयर) भूमि भू—उपयोग योजना में प्रस्तावित की गई है।

5.8.3 रेल मार्ग एवं हवाई सेवा

वर्तमान में बिलाड़ा रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जोधपुर के लिये जोधपुर बिलाड़ा शटल ट्रेन वाया पीपाड़ शहर चलती है। जिसे खारीया मीठापुर, जैतारण, निमाज होकर बर रेल्वे लाईन से जोड़ा जाना प्रस्तावित हैं जो बिलाड़ा से बर 46.7 कि.मी. है। बिलाड़ा में कोई हवाई पट्टी या हेलीपैड नहीं है। बिलाड़ा के जिला तथा सम्भागीय मुख्यालय जोधपुर से नियमित हवाई सेवाएँ उपलब्ध हैं।

5.9 पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संवर्धन/संग्रहण

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमज़ोर हो गई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू-जल दोहन, जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि से कृषि जोत में कमी आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार हैं। अतएव पर्यावरण सन्तुलन एवं छाया की दृष्टि से बिलाड़ा के उत्तर व दक्षिण में प्रस्तावित बाह्य मार्ग एवं शहर के बाहर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग—14 के सहारे—सहारे 100 फुट चोड़ी वृक्षारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र में भी सघन वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे—सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि, आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अलावा बड़े परिसरों व आवासों, कार्यालयों में वर्षा—जल के संग्रहण व सर्वधन की संरचना बनानी होगी। जिससे वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर बढ़ाया जा सके व संग्रहित पानी भी काम में लिया जा सके। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह—भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

5.10 आपदा प्रबन्धन

आपदा दो तरह की हो सकती है। एक प्राकृतिक व दूसरा मानव जनित है। अकाल, बाढ़, चकवात, तूफान, भूकम्प, महामारी, अग्निकांड, गैस रिसाव, भवन का ढहना, भगदड़ मचना आदि की स्थिति में घोर संकट के समय बचाव एवं तत्काल राहत की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में संकट को कम करते हुए बचाव व राहत के सभी तरह के आवश्यक कदम

उठाने होते हैं और विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय की आवश्यकता रहती हैं। जानमाल रक्षा व सुरक्षा के प्रति सजग, संवेदनशील रहते हुए तत्काल कार्यवाही की जानी होती है। जिला प्रशासन को सम्भावित आपदा से बचाव के लिए पूर्व में ही आवश्यक तैयारी एवं आपदा पश्चात् आवश्यक कार्यवाही के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पड़ती है। जिला प्रशासन को जिले में विद्यमान गंभीर औद्योगिक भण्डारों की मात्रा, रसायनों उनसे पड़ने वाले दुष्प्रभावों की भी जानकारी होनी चाहिए तथा उनके समीप रहने वालों को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिएं पहले से ही बसे, तेल डिब्बो, महत्वपूर्ण संस्थानों के घरोहरों स्मारकों, हेजार्डस उद्योगों, नदी नालों के समीप आबादी की बसावट को रोका जाना चाहिए। सुरक्षा बलों, नागरिक संगठनों का सहयोग, आवश्यक मशीनरी एवं सामग्री की उपलब्धता आदि की व्यवस्था की जानी होती है। बाढ़ से बचाव के लिए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने एवं उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए नाव, तैराक, लाईफ जैकेट, टॉर्च, रस्से व हेलिकॉप्टर आदि की ओर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मिट्टी से भरे हुए कट्टे, पानी को डाइवर्ट करने या सुरंग बनाने के लिए जे.सी.बी. व अन्य मशीनों की आवश्यकता रहती है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन मय प्रशिक्षित दल आदि आवश्यक है। इसी तरह अन्य आपदाओं से बचाव व राहत के लिए सभी तरह के उपाय यथा पेरामेडिकल स्टाफ, दवाईयां, एम्बुलेन्स, मास्क, सुरक्षा बलों की तैनातगी आदि उपाय किये जाने होते हैं ताकि जान-माल की रक्षा हो सकें। आपातकाल में नागरिक सुरक्षा व राहत के लिए आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना, आवश्यक संसाधन, कार्मिक, विशेषज्ञ, सम्बन्धित विभागों के दूरभाष नंबर, मोबाईल नंबर आदि की सुनिश्चितता आवश्यक है ताकि भावी आपदा से यथासंभव बचाव किये जा सकें। इसके लिए सभी विभागों में आपसी तालमेल हो। जिला प्रशासन द्वारा भी आपदाओं से बचने के लिए आम जनता के लिए प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है। राज्य आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ द्वारा नवीनतम जानकारियां जिला प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए।

5.11 परिधि नियंत्रण पट्टी व वृक्षावरोपण पट्टी

नगर के परिधि नियंत्रण क्षेत्र में अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को रोकने के लिए नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियन्त्रण क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। इस क्षेत्र की भूमि का उपयोग प्रमुख रूप से कृषि, वृक्षावरोपण एवं इससे सम्बन्धित उपयोग के

लिये ही किया जायेगा। परिधि नियंत्रण क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामीण बस्तियों का भी विकास नियंत्रित एवं नियमानुसार किया जायेगा।

राजमार्ग बाई—पास के साथ—साथ वे समस्त भू—उपयोग नियमों के अन्तर्गत स्वीकृति लेकर मानदण्ड व शर्तों के साथ आ सकेंगे जो हरित पट्टी क्षेत्र में अनुज्ञेय हैं तथा अन्य भू—उपयोग, जैसे— सेवा केन्द्र, पैट्रोल पम्प, ग्रामीण आबादी का विस्तार, मोटल, कुक्कुट शालाएँ एवं रिसोर्ट, फार्म हाउस, कृषि सेवा केन्द्र तथा कृषि आधारित लघु उद्योग भी आ सकेंगे।

राजमार्ग एवं बाई—पास के सहारे अनुज्ञेय विकास करते समय इन मार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद उपयुक्त समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य आ सकेंगे।

राजमार्ग को भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप विकसित किया जायेगा एवं इसके आगे परिधि नियन्त्रण पट्टी की ओर आने वाले गतिविधियों के लिए राजमार्ग में सम्पर्क सङ्क कम से कम एक किलोमीटर के अन्तराल पर प्रदान की जायेगी। इस राजपथ नियन्त्रण पट्टी में हाईवे से सम्बन्धित सामान्य गतिविधियों जैसे— मोटल्स, रिजोर्ट्स, ढाबा, पेट्रोल पम्प, भण्डारण ग्रामीण आबादी विस्तार, कृषि फार्म हाउस एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं व इस प्रकार की अन्य गतिविधियाँ नियमों के प्रावधान अनुसार स्थापित की जा सकेंगी।

5.11(1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियंत्रण सीमा क्षेत्र में आने वाले अधिसूचित गाँव, जो कि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु विकसित करना होगा। इससे इन ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न भू—उपयोगों को नियंत्रित करने में बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का उनकी न्यूनतम विस्तार आवश्यकताओं एवं ग्राम पंचायत के प्रस्तावों आदि को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय ग्राम के रूप में विस्तार एवं विकास सुनिश्चित किया जायेगा ताकि ग्रामीण आबादी सम्बन्धित समस्याओं का समाधान हो सके। परिधि नियंत्रण सीमा क्षेत्र में वन, कृषि, वृक्षारोपण, डेयरी, पोल्ट्री, फार्म हाउस, इत्यादि उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा ग्रामीणों का शहरों की ओर होने वाले पलायन को नियंत्रित किया जा सकेगा।

6

योजना का क्रियान्वयन

योजना का क्रियान्वयन

बिलाड़ा शहर के लिये योजना बनाना, वहां की जनता के लिये रहने और कार्य करने की दिशा में प्रयत्नों का आरम्भ करना मात्र है। जब यह योजना सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित कर दी जाती है, तो यह एक कानूनी दायरे में आ जाती है और इस योजना को लागू करने के लिये विकास करने वाली संस्थाओं को इसके अनुसार ही कार्य करने होते हैं।

किसी योजना को उसके वास्तविक स्वरूप को देने के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यावहारिक हो। अधिकतर योजनाओं के असफल होने का कारण यह नहीं था कि वे अवास्तविकता के आधार पर थीं परन्तु उनके लागू करने की दिशा में तत्काल विश्वास कर उन्हें अन्तिम वास्तविक रूप देने में सचेत रहकर प्रयास नहीं किये गये। योजना का क्रियान्वीकरण/कार्यान्वयन उसके कार्यकलापों को कार्यों में परिणित करने का है ताकि उनको लागू किया जा सके, न कि केवल देखने मात्र से ही है। क्रियान्वयन के लिए कानूनी संरक्षण, प्रशासनिक संस्था, तकनीकी सुझाव और वित्तीय साधनों का होना आवश्यक है। इसके लिये जनता का पारस्परिक सहयोग होना अति-आवश्यक है। इन प्रयत्नों से ही बिलाड़ा रहने एवं कार्य करने हेतु लोगों के लिये एक प्रभावशाली एवं आकर्षक स्थान बन सकता है। मास्टर प्लान में प्रस्तावित सुझावों व प्रावधानों को सही अर्थों में क्रियान्वित करने व उनको सामान्य जनहित के लिये फलदायक बनाने के लिये कानूनी संरक्षण व एक प्रभावशाली प्रशासनिक संस्था का होना आवश्यक है। अतः मास्टर प्लान के पहलुओं को सुचारू रूप से लागू करने व सरकारी और गैर सरकारी इकाईयों के पारस्परिक सहयोग की दृष्टि से एक उपयुक्त संस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा एक संगठित संस्था के सृजन की सिफारिश की गई है, जो सार्वजनिक हित एवं सुव्यवस्थित विकास में तालमेल बैठा सके। वर्तमान में नगर पालिका जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत कार्य कर रही है, एक ऐसी संस्था है जो कि केवल नगर पालिका क्षेत्र में ही

विकास कार्यों का नियन्त्रण व क्रियान्वयन करती है। नगर पालिका अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे कि नगर पालिका समस्त शहरी क्षेत्र में अपने विकास कार्यों को लागू कर सके। इसे विकास कार्यों को सुचारू रूप से लागू करने के लिये पर्याप्त मात्रा में अधिकार, तकनीकी ज्ञान एवं उपकरण प्राप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त शहर में इस प्रकार की बहुत-सी ऐसी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो कि अपने ही क्षेत्रों में अपने निर्धारित अधिनियमों और मापदण्डों के आधार पर ही विकास का कार्य करती है, जिन पर नगर पालिका का कोई नियन्त्रण नहीं है। परन्तु अब वर्ष 2009 में नया नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया है, जिससे नगर पालिका बेहतर रूप से समस्त शहरी क्षेत्र में विकास कार्य नियन्त्रित कर सकेगी। रेलवे, राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको), राजस्थान आवासन मण्डल और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये कुछ प्रमुख विभाग हैं, जिनका कि परस्पर विकास कार्यों में तालमेल होना आवश्यक है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस महायोजना के प्रस्तावों को सुचारू रूप से लागू करने और सरकारी और गैर सरकारी संरथाओं के विकास कार्यों में पारस्परिक सहयोग स्थापित करने के लिये नगर पालिका एवं मण्डी विकास समिति को पर्याप्त मात्रा में अधिकार दिये जावें ताकि इस योजना के समस्त क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास किया जा सके। इस सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने की आवश्यकता है।

6.1 वर्तमान आधार

वर्तमान में बिलाड़ा नगर पालिका का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया था। यह अधिनियम स्थानीय निकायों को उतने समुचित अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है, जिससे कि सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य को प्रभावी तरीके से नियमित किया जा सके। अब नया अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया जा चुका है, इससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से नियन्त्रित किया जा सकेगा।

बिलाड़ा में कई सार्वजनिक एजेन्सियाँ भी हैं जो अपनी सीमा में विकास कार्य करवाती हैं, लेकिन वे इसे अपने नियमों एवं मापदण्डों के अनुरूप करवाती हैं। बिलाड़ा नगर में नगर

पालिका, राजकीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जैसे महत्वपूर्ण एजेन्सियाँ कार्यरत हैं, जिनमें आपसी अच्छे सामंजस्य की आवश्यकता है।

शहर के विभिन्न भागों में टुकड़ों में अनियोजित रूप से विकास कार्य हुए हैं जिससे गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न की हैं। योजना तैयार करने में एवं उसे लागू करने में विभिन्न चरणों में आपसी सहयोग किसी भी विकास योजना की सफलता के लिए आवश्यक है। यदि कोई एक अधिकृत प्राधिकरण सभी नगरीय विकास गतिविधियों की देख-रेख एवं विभिन्न विभागों को एक निकाय के रूप में उपयुक्त दिशा निर्देशन एवं समन्वयन प्रदान करें तो यह शहर के संगठित विकास की समूची योजना को ही नहीं अपितु विभिन्न विकास संस्थाओं के पारस्परिक कार्यों में भी सहयोग प्रदान करेगा। ये अधिकृत सहयोगी संस्थाएँ किसी न किसी तरह से विकास एजेन्सियों के सम्पर्क में रहनी चाहिए। विकास, नियन्त्रण योजना को लागू करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विकास योजना के नगरीय क्षेत्र हेतु मात्र मास्टर प्लान तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इसे सार्वजनिक एजेन्सियों द्वारा योजना के अनुरूप विकास करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देना आवश्यक है।

6.2 प्रस्तावित आधार

यह आभास किया गया है कि एक अधिकृत, एकीकृत, प्राधिकृत एजेन्सी को इस प्रयोजन हेतु समिलित किया जाये जो बिलाड़ा में सभी विकास कार्य को लागू कर सके एवं उसमें सामन्जस्य स्थापित कर सके, चाहे ये सामन्जस्य निजी, नगर पालिका या सरकारी स्तर पर ही हो। इस प्रस्तावित अधिकृत एजेन्सी के क्षेत्राधिकार को आवश्यक रूप से समस्त बिलाड़ा के नगरीय क्षेत्र तक होना चाहिए। इसमें प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के साथ-साथ परिधि नियंत्रण पट्टी को भी समिलित करना चाहिए। अधिकृत एजेन्सी का उद्देश्य बिलाड़ा के विकास को बढ़ाना, उसे सुनिश्चित करना होना चाहिए जो कि प्लान के अनुरूप हो तथा इसलिए वह समस्त नगरीय क्षेत्र के लिए प्रमुख संस्था होनी चाहिए। इससे शहरवासियों को अपने विचार सुचारू रूप से प्रस्तुत करने में सहायता मिल सकेगी। प्राधिकृत इकाई एक समग्र इकाई होनी चाहिए, जिसे प्लान बनाने एवं उसको क्रियान्वित करने तथा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों को अधिग्रहण करने एवं अचल एवं चल सम्पत्तियों के निष्पादन के अधिकार प्राप्त होंगे। प्राधिकृत इकाई योजना के क्रियान्वयन और उसके विकास कार्य आदि को बनाने समन्वयन एवं देख-रेख के लिए जिम्मेवार होगी। प्राधिकृत इकाई के पास निम्न अधिकार होने चाहिए :—

- प्राधिकृत इकाई के पास निहित सम्पत्ति को अवाप्त करने, लीज पर देने, विक्रय करने एवं हस्तान्तरण आदि के उत्तरदायित्व होने चाहिए।
- विभिन्न योजनाओं के विकास कार्य एवं उनके क्रियान्वयन का अधिकार
- विकास कार्यों हेतु अधिभार।
- किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय निकाय एवं सरकारी विभागों को निर्देशित करना।
- राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित कार्यों को करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विकास परियोजनाएँ मास्टर प्लान के अनुरूप हों।
- स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं के अनुसार मास्टर प्लान के अनुरूप क्रियान्वयन में असफल होने पर उसका क्रियान्वयन करना।

6.3 जन—सहयोग एवं जन—सहभागिता

नगर का सुव्यवस्थित विकास बहुत कुछ वहां की जनता की आकांक्षाओं व प्रयासों पर निर्भर करता है। नगर के मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य वहां की जनता के रहने के लिये स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण तैयार करना है। इस मास्टर प्लान में, निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिये, जनता का पूर्ण सहयोग होना अति आवश्यक है। कोई भी योजना बिना जनता के सक्रिय एवं परस्पर सहयोग के अभाव में सफल नहीं हो सकती, जिनके लिये यह योजना तैयार की जाती है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम व स्वच्छ प्रशासन दे सकी है। अतः यह आवश्यक है कि नगर के नागरिक मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करावें।

6.4 भू—उपयोग, अंकन एवं भूमि अवाप्ति

बिलाड़ा मास्टर प्लान में क्षैतिज वर्ष 2031 के प्रस्तावित भू—उपयोगों को सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि—इत्यादि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिये तैयार किये गये योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृत यथा 90—बी के आदेश, आवंटन भूमि रूपांतरण व नियमन, भू—उपयोग

परिवर्तन, अनुमोदित योजना भवन निर्माण स्वीकृत आदि का समायोजित नहीं हो पाया हो तो उन्हे समायोजित माना जावेगा ।

बिलाड़ा के मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड तथा विधिक मान्यता के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी—नाले, जलाशयों, इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/ निर्माण/ नियमन/ रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा— शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जनोपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 पुनरावलोकन

बिलाड़ा शहर के नगरीय क्षेत्र जिसे चार विभिन्न योजना परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक योजना क्षेत्र अपने आप में मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण है। शहर की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू—उपयोगों का आंकलन कर उनका पुरावलोकन किया जायेगा एवं नगर की विकास प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार समय—समय पर उनमें नवीनीकरण एवं संशोधन किये जायेंगे।

6.6 उपसंहार

मास्टर प्लान नगर के भावी विकास की तस्वीर मात्र है, जिसकी वास्तविकता तभी आंकी जा सकती है, जब इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणित किया जाये। वर्तमान व्यवस्था एवं स्थिति में कम से कम फेरबदल करने का प्रयत्न किया गया है। शहर की सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाओं का प्रस्ताव रखा गया है। मास्टर प्लान बिलाड़ा की विभिन्न जन सुविधाओं में स्तर बढ़ाकर सुधार लानें, उनमें सौन्दर्यता प्रदान करने एवं उनको आकर्षित बनानें और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है।

परिशिष्ट

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय-2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति—

- (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।
- (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु—

- (क) मास्टर प्लान में, वे विभिन्न जोन परिनिश्चय किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
- (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जाए, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व, मास्टर प्लान

का प्रारूप, उसकी एक प्रति, निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमन्त्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

- (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।
- (4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सन्दर्भ में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना—

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।
- (3) राज्य सरकार या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या

कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख—

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति या कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आ जावेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No.F.4(32)LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part-IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 Page 118].

In execrcise o of the power conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely: -

RULES

1. Short title and commencement-

- (1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962".
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions-In these rules, unless the subject or context otherwise requires:

- (1) "Act" means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No.35 of 1959).
- (2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,
- (3) "Section" means a Section of the Act,
- (4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents there of under section 5 (1) :-

¹[“(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act,’1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form ‘A’ in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan]².

1. Substituted by clause 2 of the Notification No.F.3(123)TP/36, date 24.02.1970 vide C.S.R. 96 Pub. in Raj. Gaz. Extra-Ordi, Part. IV-C, dated 24.02.1970 at page 329-331.
2. Amended & Added vide Notification No.F.7 (19) TP/11/76 date 21.09.1979 R.G. Pt. IV-C (i) date 27.09.1979 page 339.

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the

Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.

- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely: -
 - (a) Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.
 - (b) Base Map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
 - (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses, etc.
 - (d) Written analysis and written statement to support the proposals.
 - (e) Any other maps, plans or matter which the officer or the Authority deem fit or as the State Government may direct the officer or the Authority in this regard.
4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 : -
 - (1) After considering the objections, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council of Constituted under Section 3(2) of the Act finalise the Master Plan

and submit the same ²[if constituted] to the State Government for approval.

- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall published in the Official Gazette, a Notice in Form ‘B’ stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.”]
-

1. Substituted by clause 2 of the Notification No.F.3(123)TP/36, date 24.02.1970 vide C.S.R. 96 Pub. In Raj. Gaz. Extra-Ordi, Part. IV-C, dated 24.02.1970 at Page 329-331.
2. Amended & Added vide Notification No. F.7(19)TP/11/76 date 21.09.1979 R.G.Pt. IV-C (i) date 27.09.1979 Page 339.

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,**

क्रमांक—प.10(213)नविवि / 3 / 09

जयपुर, दिनांक—13 / 01 / 2010.

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को बिलाड़ा (जिला जोधपुर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है—

क्रम संख्या	ग्रामों का नाम	तहसील
1.	बिलाड़ा (Bilara)	बिलाड़ा (जिला जोधपुर)
2.	उदलियावास (Udliyawas)	— " —
3.	पिचियाक (Pichiyak)	— " —
4.	जसवन्तपुरा (Jaswantpura)	— " —
5.	बड़ी कलां (Badi Kalan)	— " —
6.	बीजासनी (Bijasani)	— " —
7.	जैलवा (Jailwa)	— " —
8.	खारिया—मीठापुर (Kharia Mithapur)	— " —
9.	बिंजवाड़िया (Binjwadiya)	— " —
10.	हर्ष (Harsh)	— " —
11.	बरना (Barna)	— " —

राज्यपाल की आज्ञा से,

— ह —

(पुरुषोत्तम बियाणी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बिलाड़ा।
8. रक्षित पत्रावली।

— ह —

(प्रदीप कपूर)

उप नगर नियोजक

राजस्थान सरकार

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जोधपुर जौन, जोधपुर
जेडीजेड / 1120 / एम.पी. / बिलाडा, दिनांक : 16-03-2011

अधिसूचना

सर्व संघारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत जिला जोधपुर के बिलाडा नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान-2031 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप के नगरीय क्षेत्र में बिलाडा तहसील के निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं :—

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	Name of village
1.	बिलाडा	BILARA
2.	उदलियावास	UDLIYAWAS
3.	पिचियाक	PICHIYAK
4.	जसवन्तपुरा	JASWANTPURA
5.	बड़ी कला	BADI KALAN
6.	बीजासनी	BIJASANI
7.	जैलवा	JAILWA
8.	खारिया-मीठापुर	KHARIA MITHAPURA
9.	बिजंवाड़िया	BINJWADIYA
10.	हर्ष	HARSH
11.	बरना	BARNA

बिलाडा प्रारूप मास्टर प्लान के सम्बन्ध में राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यवित वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जौन, जोधपुर को अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रेषित कर सकते हैं, आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका, बिलाडा में भी प्रत्युत किये जा सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में नगर पालिका परिसर, बिलाडा में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका एवं मानचित्र कार्यालय, नगर पालिका, बिलाडा से क्य किये जा सकते हैं।

(चन्द्र शेखर पाराशर)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर जौन, जोधपुर।

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(213)नवियि / 3 / 2009

जयपुर, दिनांक 15 फरवरी 2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.01.2010 द्वारा यथा अधिसूचित 'बिलाडा (जिला-जोधपुर) के नगरीय क्षेत्र' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, बिलाडा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से


(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का अम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर, जोन, जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बिलाडा, जिला-जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक